उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या
ए–3/ई–1/2020
दिनांकः 22.12.2020

प्रवक्ता (पुरूष/महिला) राजकीय इण्टर कालेज परीक्षा 2020

आन–लाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथिः– 22.12.2020

आनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथिः– 18.01.2021

आनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथिः– 22.01.2021

महत्वपूर्ण

1. यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा कोई वांछित/आवश्यक सूचना छिपायी जाती है अथवा उसका मिथ्या निरूपण किया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है तथा उसके विरुद्ध अन्य उचित कार्यवाही जैसे प्रतिवारण आदि प्रारम्भ की जा सकती है।

विशेष सूचनाः– (क) ''बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आन लाइन आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आन लाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन 'Submit' करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। यह भी सूचित किया जाता है कि परीक्षा शुल्क के रूप में जमा की गई कोई भी धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।''

(ख) आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित कॉलम में अपना मोबाइल नं0 और मान्य ई–मेल आईडी देना होगा जिसके बिना उनका Basic Registration पूरा नहीं होगा। इसी मोबाइल नं0 पर भविष्य में सभी सूचनाएं/निर्देश एसएमएस द्वारा भेजे जायेंगे तथा ई–मेल उनके मान्य ई–मेल आईडी पर प्रेषित किये जायेंगे।

आन–लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की **website http://uppsc.up.nic.in** पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु 'आन–लाइन' आवेदन पद्धति (ON-LINE APPLICATION SYSTEM) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आन–लाइन आवेदन ही करें।

''आन–लाइन आवेदन'' करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भलीभाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:–

1. आयोग की **Website http://uppsc.up.nic.in** पर "ALL NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं–

1- User Instructions
2- View Advertisement
3- Apply

उन समस्त विज्ञापनों की सूची प्रदर्शित होगी जिनमें ''आन–लाइन आवेदन पद्धति'' लागू है। User Instruction में अभ्यर्थियों को ऑन–लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा–निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन–लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित "Sample Snapshots" भी प्रदर्शित होंगे। आनलाइन आवेदन हेतु "Apply" पर Click करें।

''आन–लाइन आवेदन'' करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जायेगा :–

प्रथम स्तर – Apply Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Candidate Registration' प्रदर्शित होगा तथा 'Candidate Registration' Click करने पर Basic Registration Form प्रदर्शित होगा। Basic Registration Form भरने के पश्चात् Submit बटन पर Click करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गई सूचनाओं को भली भांति जाँच लें एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो Edit button पर Click करें। भरी गई सूचनाओं से संतुष्ट होने के पश्चात 'Submit' बटन पर Click करें, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात 'Print registration Slip' प्रदर्शित होगी, जिस पर Click करके Registration Slip की प्रिन्ट प्राप्त कर लें।

द्वितीय स्तर – प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात स्क्रीन पर "Click here to proceed for payment" कैप्शन के साथ 'Fee to be deposited [in INR]' प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्शन पर क्लिक करने के पश्चात् स्टेट बैंक MOPS (Multi Option Payment System) का Home page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे। (i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES, उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात "Payment Acknowledgment Receipt (PAR)" प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसकी प्रिन्ट 'Print Payment Receipt' पर क्लिक करके प्राप्त कर लें।

तृतीय स्तर – द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् 'Proceed for final submission of application form' पर क्लिक करने पर फार्मेट प्रदर्शित होगा। उक्त फार्मेट में आनलाइन सूचनाएं भरनी होंगी तथा फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (साइज का उल्लेख आन लाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष (Chest) तक होनी चाहिये। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके upload नहीं किया जाता है तो आवेदन को आन–लाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया **परिशिष्ट–1** में दी गई है। आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियां अंकित करने के बाद **"PREVIEW"** को click करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही–सही भरी गई हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद ही आन–लाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु "Submit" बटन को Click करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही–सही निर्देशानुसार आन–लाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक "Submit" बटन को Click करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा "Submit" बटन को Click नहीं किया जायेगा तो आन–लाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तथा इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। "Submit" बटन को Click करने के पश्चात आवेदन का प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारम्भिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं आनलाइन आवेदन सम्बन्धी हार्ड कापी आयोग को प्रेषित न करें।

2. आवेदन शुल्क : आन–लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारम्भिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :–

(i) अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग – परीक्षा शुल्क ₹ 100/– + आन–लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/– योग = ₹ 125/–

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति – परीक्षा शुल्क ₹ 40/– + आन–लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/– योग = ₹ 65/–

(iii) दिव्यांग श्रेणी – परीक्षा शुल्क NIL + आन–लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/– योग = ₹ 25/–

(iv) भूतपूर्व सैनिक – परीक्षा शुल्क ₹ 40/– + आन–लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/– योग = ₹ 65/–

(v) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला – अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

3. ऐसे अभ्यर्थी, जो उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से प्रतिवारित किये गये हैं तथा उनकी प्रतिवारण अवधि समाप्त नहीं हुयी है, उनका Basic Registration स्वीकार्य नहीं होगा। यदि प्रतिवारण सम्बन्धी तथ्यों को छिपाकर आवेदन कर भी देते हैं तो भविष्य में किसी भी स्तर पर यह तथ्य प्रकाश में आने पर न केवल इस परीक्षा हेतु उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा वरन् उन्हें समस्त आगामी परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित करने/प्रतिवारण अवधि बढ़ाये जाने के बारे में आयोग द्वारा विचार किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस सम्बन्ध में अपने आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर आयोग द्वारा उन्हें प्रश्नगत परीक्षा तथा भविष्य में आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

4. सबमिट किये गये आवेदन में संशोधनः आनलाइन आवेदन Submit करने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को Submit किये जा चुके आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है तो परीक्षा का नाम एवं भर्ती का प्रकार, Registered Mobile Number, E-mail ID, Aadhaar Number तथा ऐसे मामले जिनमें संशोधित श्रेणी का शुल्क अधिक है, को छोड़कर (इन प्रविष्टियों में त्रुटि करने की दशा में अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ ही नया ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं क्योंकि पूर्व में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में समायोजित/वापस नहीं किया जायेगा।) इसे आनलाइन आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व संशोधित करने हेतु अभ्यर्थियों को एक अवसर अनुमन्य है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है:–

''अभ्यर्थी को Candidate Segment में 'Online application process' के अन्तर्गत 'Modify Submitted Application' को क्लिक (Click) करना होगा। Click करने के पश्चात "Candidate Personal Details" Screen प्रदर्शित होगी जिसमें अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन नं., जन्मतिथि (Date of Birth), लिंग (Gender) निवास (Domicile) तथा श्रेणी (Category) भरनी होगी तत्पश्चात् Verification Code अंकित करने के बाद 'Proceed Button' पर क्लिक करना होगा, जिसके पश्चात् अभ्यर्थी का **'Authentication OTP (one time password)** के द्वारा होगा। **OTP** अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नं0 पर भेजा जायेगा जिसे अभ्यर्थी Option Box में भरेगा। इसके पश्चात् 'Proceed' बटन को क्लिक करने पर पूर्व में Submit आनलाइन आवेदन (Online Application Form) प्रदर्शित होगा। इस Online Application Form में वांछित संशोधन यथास्थान करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा Online Application Form 'submit' किया जा सकता है। यह सुविधा अभ्यर्थियों को Online Application Form Submit करने की अन्तिम तिथि तक केवल एक बार ही अनुमन्य होगी।''

5. उ0प्र0 लोक सेवा आयोग प्रवक्ता (पुरुष/महिला) राजकीय इण्टर कालेज मुख्य (लिखित) परीक्षा 2020 में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु इस विज्ञापन के **परिशिष्ट–2** में उल्लिखित जिलों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर एक प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेंगे। चयन मुख्य (लिखित) परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के योग के आधार पर होगा। परीक्षा की तिथि तथा केन्द्र की सूचना अभ्यर्थियों को ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से अलग से दी जायेगी। अन्तिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर आयोग के निर्णयानुसार जिला/केन्द्रों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

6– रिक्तियों की संख्याः– वर्तमान में चयन हेतु रिक्तियों की कुल संख्या – 1473 है, जिसमें पुरूष शाखा हेतु 991 रिक्तियाँ एवं महिला शाखा हेतु 482 रिक्तियाँ है। पुरूष शाखा एवं महिला शाखा हेतु विषयवार/आरक्षणवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत है:–

पुरूष शाखा

क्र0 सं0	विषय का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित	ई.डब्ल्यू.एस.	अ0पि0वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 ज0जाति
1	हिन्दी	98	39	10	26	21	02
2	अंग्रेज़ी	100	40	10	27	21	02
3	भौतिक विज्ञान	105	43	10	28	22	02
4	रसायन विज्ञान	106	44	10	28	22	02
5	जीव विज्ञान	137	55	13	37	30	02
6	गणित	132	53	13	36	28	02
7	संस्कृत	46	19	05	12	09	01
8	अर्थशास्त्र	56	22	06	15	12	01
9	नागरिक शास्त्र	47	19	05	13	10	–
10	भूगोल	60	25	06	16	12	01
11	इतिहास	42	17	04	11	09	01
12	समाजशास्त्र	30	11	03	08	07	01
13	शिक्षाशास्त्र	01	01	00	–	–	–
14	उर्दू	20	08	02	05	04	01
15	वाणिज्य	11	04	01	03	03	–
	योग–	**991**	**400**	**98**	**265**	**210**	**18**

महिला शाखा

क्र0 सं0	विषय का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित	ई.डब्ल्यू.एस.	अ0पि0वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 ज0जाति
1	हिन्दी	21	09	02	06	04	00
2	अंग्रेज़ी	22	09	02	06	05	00
3	भौतिक विज्ञान	57	23	06	15	12	01
4	रसायन विज्ञान	59	24	06	16	12	01
5	जीव विज्ञान	91	36	09	25	19	02
6	गणित	137	55	14	37	29	02
7	संस्कृत	13	07	00	03	03	00
8	अर्थशास्त्र	10	05	00	03	02	00
9	नागरिक शास्त्र	15	07	01	04	03	00
10	भूगोल	14	06	01	04	03	00
11	इतिहास	15	07	01	04	03	00
12	समाजशास्त्र	08	04	00	02	02	00
13	शिक्षाशास्त्र	04	02	00	01	01	00
14	उर्दू	05	03	00	01	01	00
15	वाणिज्य	01	01	00	00	00	00
16	गृह विज्ञान	10	05	00	03	02	00
	योग–	**482**	**203**	**42**	**130**	**101**	**06**

continued..

size : 38x25
Kaka Advt. Ag.

क्षैतिज आरक्षण विषयवार नियमानुसार देय होगा।

वेतनमान – 9300 – 34800 ग्रेड पे – 4800 लेबल – 8

नोट– परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।

7. आरक्षण : उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों/उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गों/उ0प्र0 के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा– उ0प्र0 के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/महिला अभ्यर्थियों/उ0प्र0 के भूतपूर्व सैनिकों/उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यतन शासकीय नियमों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

नोट–(1) शासनादेश संख्या–39 रिट/का–2/2019 दिनांक–26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या–18/1/99/का–2/2006 दिनांक–09 जनवरी, 2007 के प्रस्तर–4 में दिये गये प्राविधान, ''यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है'' को रिट याचिका संख्या– 11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक–16.01.2019 को अधिकारातीत (ULTRA VIRES) घोषित करने सम्बन्धी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक–09.01.2007 से प्रस्तर–04 को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक–16.01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या–475/2019 में मा. न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा। (2) आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के **परिशिष्ट–3** में मुद्रित तथा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। (3) उ0प्र0 के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी/उपश्रेणी अवश्य अंकित करें। (4) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। (5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है। (6) महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। (7) अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी/उपश्रेणी का दावा किया गया है, उसके समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8. आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें:– (केवल आयु में छूट हेतु) आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गई है भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या–22/10/1976 –कार्मिक–2–85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं:– (अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है। (ब) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यदि (क) उसे सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त हो गया हो। (ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं (ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त न हुआ हो और जिसे ग्रेच्यूटी प्रदान की गई हो।

9. वैवाहिक प्रास्थिति :– ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

10. शैक्षिक अर्हतायें:– आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने आन–लाइन आवेदन के निर्धारित स्तम्भ में करें। विभिन्न पदों हेतु शैक्षिक अर्हताएं संगत सेवा नियमावली के अनुसार निम्नवत् निर्धारित हैं:–

क्र. सं0	पदनाम	शैक्षिक अर्हता (अनिवार्य)
1	प्रवक्ता (पुरूष/महिला), समाज शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र ,गणित, अंग्रेज़ी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपधि।
2	प्रवक्ता (पुरूष/महिला), जीव विज्ञान	वनस्पति विज्ञान या जन्तु विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि
3	प्रवक्ता (पुरूष/महिला), शिक्षाशास्त्र	मनोविज्ञान या शिक्षाशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि।
4	प्रवक्ता (पुरूष/महिला), हिन्दी	हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि और संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की शास्त्री परीक्षा का प्रमाण–पत्र
5	प्रवक्ता (पुरूष/महिला), उर्दू	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि
6	प्रवक्ता (पुरूष/महिला), संस्कृत	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि
7.	प्रवक्ता (पुरुष/महिला)– वाणिज्य	वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि।
8.	प्रवक्ता (महिला)– गृह विज्ञान	गृह विज्ञान या गृह कला में स्नातकोत्तर उपाधि या इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बड़ौदा विश्वविद्यालय में बी.एस.सी. गृह विज्ञान या गृह कला से स्नातक या गृह अर्थशास्त्र विषय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक। या आई0टी0 कालेज, लखनऊ से बी0एस0सी0 (यूथेनिक्स) या कोई समकक्ष भारतीय या विदेशी अर्हता जिसमें स्नातक स्तर पर गृहकला या गृह विज्ञान में एकीकृत पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया हो (न किसी वैकल्पिक विषय के रूप में) या माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या इन्टरमीडिएट परीक्षा के पश्चात् लेडी इरविन कालेज, दिल्ली से गृह–विज्ञान में तीन वर्ष का डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि

<u>अधिमानी अर्हता</u>:– प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान तथा वाणिज्य को छोड़कर शेष विषयों हेतु अधिमानी अर्हता निम्नवत है:–

''राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से एल.टी. डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा–शास्त्र में स्नातक उपाधि।''

उक्त के अतिरिक्त सभी विषयों हेतु निम्नवत अधिमानी अर्हता भी है:–

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

नोट– (1) प्रवक्ता (गृह विज्ञान) पद हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र हैं क्योंकि उक्त पद की रिक्ति केवल महिला शाखा के लिये है।

(2) एक से अधिक विषयों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी केवल उसी एक विषय के पद के लिए अर्ह/पात्र माने जायेंगे, जिसके प्रश्नपत्र की परीक्षा में वे सम्मिलित होंगे।

11. आयु सीमा:– अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2020 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1980 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1999 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई, 1965 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। **(2) अधिकतम आयु सीमा में छूट**:– **(क)** उ0प्र0 की अनुसूचित जाति, उ0प्र0 की अनुसूचित जन जाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उ0प्र0 के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी अर्थात् उनका जन्म 2 जुलाई, 1975 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। **(ख)** उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। **(ग)** उ0प्र0 के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिये समूह ''ग'' के पदों हेतु नियमानुसार आयु सीमा में छूट एवं आरक्षण देय होगा।

12. प्रवक्ता (पुरुष/महिला) राजकीय इण्टर कालेज मुख्य (लिखित) परीक्षा के संबंध में कतिपय सूचनायें:– (1) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य (लिखित परीक्षा) में सम्मिलित किये जायेंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थियों, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ.प्र. के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रू0 200/– एवं आन–लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/–, योग रु0 225/– तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जाति/उ0प्र0 के अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क को रु0 80/– एवं आन–लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– योग रु0 105/– निर्धारित है। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले उ0प्र0 के दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। परन्तु उन्हें आन–लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– मात्र देना होगा। उ0प्र0 के सेना के भूतपूर्व सैनिकों हेतु परीक्षा शुल्क रु0 80/– एवं आन–लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– योग रु0 105/– निर्धारित है। उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला अभ्यर्थी जिस मूल श्रेणी से संबंधित होंगे उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु शुल्क जमा करना होगा। (2) अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक नोट कर लें कि मुख्य परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आवंटित किया गया है। (3) मुख्य परीक्षाओं हेतु तिथियाँ तथा परीक्षा केन्द्र बाद में आयोग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे, जिनकी सूचना ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी। (4) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने सेवायोजक का समक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नोट– प्रवक्ता (पुरूष/महिला) राजकीय इण्टर कालेज परीक्षा की मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के आवेदन पत्रों में किये जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र/प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र/प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

13. अभ्यर्थियों के लिये महत्वपूर्ण अनुदेश:– **(1)** उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 5 वर्षों तक प्रतिवारित किया जा सकता है। **(2)** आन–लाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, नाम व पते का जो दावा किया जायेगा, वही मान्य होगा। इसके बाद कोई भी परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा, इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा। 'गलत'/भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। **(3)** हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। **(4)** मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावे की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न न करने पर अथवा प्रमाण पत्र/अंक पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। **(5)** समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा–3 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो सक्षम चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हों, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किये गये पदों पर दिव्यांग की उप श्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। उल्लेखनीय है कि उक्त अधिनियम की धारा–3 के अनुसार पदों का नया चिन्हांकन अभी शासन से नहीं प्राप्त हुआ है अतएव नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अधियाचन में दिव्यांग रिक्तियों का जो चिन्हांकन (श्रेणी/उपश्रेणी) प्राप्त होगा उसी के अनुसार चयन की कार्यवाही की जायेगी। **(6)** आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है। **(7)** परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। **(8)** जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये

continued..

जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा और परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। (9) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने, आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने पर तथा त्रुटिपूर्ण जन्म तिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर, आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। (10) आयोग आवेदन पत्र की सरसरी जाँच पर अभ्यर्थियों को औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था, अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरान्त संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जायेगी। (11) कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। (12) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नं0, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिये। (13) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। (14) प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 13 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे। (15) ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिए निर्धारित अर्हकारी परीक्षा (पद की अनिवार्य अर्हता) में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा में आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। (16) अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक भरने में केवल काले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। पेन्सिल या अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें। (17) अभ्यर्थी OMR Answer Sheet की सभी प्रविष्टियां सही–सही भरें। इन्हें रिक्त छोड़ने अथवा त्रुटि पूर्ण भरने की स्थिति में उनकी OMR Answer Sheet का मूल्यांकन आयोग द्वारा नहीं किया जायेगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। ओएमआर उत्तर पत्रांक में भरी गयी सूचना को व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबर आदि से मिटाया नहीं जायेगा। (18) OMR Answer Sheet दो प्रतियों में, एक मूल प्रति (Original Copy) तथा दूसरी अभ्यर्थी प्रति (Candidate's copy) रहेगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी OMR Answer Sheets की मूल प्रति (Original Copy) अन्तरीक्षक को सौंप देंगे तथा अभ्यर्थी प्रति (Candidate's copy) अपने साथ लें जायेंगे। (19) प्रारम्भिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्न पत्रों में गलत उत्तर पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगी –1 प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा। 2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा। यद्यपि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा। 3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा। (20) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे।

सामान्य अनुदेश

1. अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।

2. सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON LINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (**परिशिष्ट–3**) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयुसीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, कुशल खिलाड़ियों तथा दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को, जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

4. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। पद के लिए वांछित सभी अर्हतायें आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिये।

5. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण–पत्र शासनादेश संख्या–453/79–वी–1–15–1(का)14–2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

6. किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

7. यदि अभ्यर्थी को आन–लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष द्वारा अथवा Website पर "Contact us" से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

8. फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया **परिशिष्ट–1** में दी गई है। परीक्षा हेतु जिलों की सूची **परिशिष्ट–2** पर तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का नमूना **परिशिष्ट–3** पर उपलब्ध है। इसी प्रकार प्रारम्भिक परीक्षा का परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम **परिशिष्ट–04** पर तथा मुख्य परीक्षा का परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम **परिशिष्ट–05** पर उपलब्ध है।

Detailed Application Form:

At the top of the page, there is a Declaration. The candidates are advised to go through the content of the Declaration carefully. Candidate has the option either to agree or disagree with the content of Declaration by clicking on **'I Agree'** or **'I do not agree'** buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped, and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's On-line Application.

Notification Details :

This section shows information relevant to Notification

Personal Details

This section shows information about candidate's personal details i.e. Registration Number, candidate's name, Father/Husband's name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email ID and contact number.

Other Details of Candidate

Other details of candidate shows the information details about UP Freedom Fighter, Ex Army service duration and your physical deformity.

Education & Experience Details

Its shows your educational and experience details.

Candidate address, photo & signature details

Here you will see your complete communication address and photo with your signature.

Declaration segment

At the bottom of the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the content of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.

Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned on entry time, if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.

Otherwise using "Back" button you can modify your details.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "PRINT" OPTION AVAILABLE]

For other Information: For other Information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website **http://uppsc.up.nic.in**

CANDIDATE SEGMENT

NOTIFICATIONS/ADVTS
All Notifications/Advertisements
ONLINE FORM SUBMISSION
1. Candidate Registration (First Stage)
2. Fee Deposition / Reconciliation (SECOND STAGE)
3. Submit Application Form (Third Stage)
APPLICATION FORM STATUS
Update your transaction ID by Double Verification mode View Application Status
List of Applications Having photo related Objections
Print Duplicate Registration Slip
Print Detailed Application Form
EXAMINATION SEGMENT
Print Address Slip for sending Documents to commission [Only for Direct Recruitment]
DOWNLOAD SEGMENT
Download Admit Card
Download interview letter
Download Syllabus
Know your Registration No.
Click here to view Key Answer Sheet

Regarding Application :

1. On clicking "View Application status" option in Candidate Segment page you can see current status of candidate.
2. On clicking "Result" option in Candidate Segment page candidate can see result status of periodically.
3. "Interview/Exam Schedule" option in Candidate Segment page candidate can see interview and examination schedule details periodically.
4. On clicking "Key Answer Sheet" candidate can download key answer sheet.
5. On clicking "Admit Card/Hall Ticket" candidate can download their Admit Card using with some basic credential of candidate.
6. On clicking "List of Rejected Candidate" candidate can view Rejected candidate list.
7. On clicking "Syllabus" candidate can view syllabus of particular examination.

[Candidates applying on-line need NOT send hard copy of the Online Application filled by them on-line or any other document/certificate/testimonial to the Uttar Pradesh Public Service Commission. However they are advised to take printout of the On-line Application and retain it for further communication with the UPPSC.] [The Candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all eligibility conditions for admission to examination. Their admission at all the stages of the examination will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility conditions.] UPPSC takes up verification of eligibility conditions with reference to original documents at subsequent stages of examination process.

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS : On-line Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the Web-Link will be disabled.

परिशिष्ट–1

The Procedure relating to upload Photo & Signature.

Guide Lines for Scanning Photograph with Signature

1. Paste the Photo on any white paper as per the above required dimensions. Sign in the Signature Space provided. Ensure that the signature is within the box.
2. Scan the above required size containing photograph and signature. Please do not scan the complete page.
3. The entire image (of size 3.5 cm by 6.0 cm) consisting of the photo along with the signature is required to be scanned, and stored in * **.jpg, .jpeg, .gif, .tif, .png** format on local machine.
4. Ensure that the size of the scanned image is not more than 50 KB.
5. If the size of the file is more than 50 KB, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, no. colours etc., during the process of scanning.
6. The applicant has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identity, it must be genuine and in full; initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted.
7. The signature must be signed only by the applicant and not by any other person.
8. The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. If the Applicant's signature on answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified.

Sample Image & Signature :-

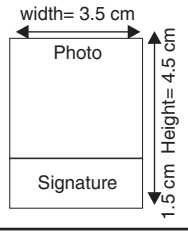

continued..

परिशिष्ट – 2

जिन नगरों में परीक्षा आयोजित की जायेगी वे निम्न प्रकार हैं:– **लखनऊ तथा प्रयागराज।**

अन्तिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर आयोग के निर्णयानुसार जिला/केन्द्रों की संख्या घटायी/बढ़ाई जा सकती है।

परिशिष्ट – 3

उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/सुपुत्री श्री.......................... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश राज्य की .... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ)/ संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के .... ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... पूरा नाम ....

मुहर .... पद नाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश राज्य की .... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता–पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... पूरा नाम ....

मुहर .... पद नाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र–I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम ....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या– .... दिनांक– ....

वित्तीय वर्ष .... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पति/पुत्री .... ग्राम/कस्बा .... राज्य .... पोस्ट ऑफिस .... थाना .... तहसील .... जिला .... राज्य .... पिनकोड .... के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष .... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:–

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... जाति .... के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर ....(कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम ....

पदनाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र–II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... ग्राम/कस्बा .... पोस्ट ऑफिस .... थाना .... ब्लाक .... तहसील .... जिला .... राज्य .... ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ:–

1. मैं .... जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल स्रोत्रों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु. .... (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् भी मैं (नाम) .... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है–

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोटः– जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थान :–

दिनांक :–

उ.प्र. के दिव्यांगों के लिए प्रमाण–पत्र

DISABILITY CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

Certificate No. .... Date ....

DISABILITY CERTIFICATE

Recent photograph of the candidate showing the disability duly attested by the Chairperson of the Medical Board

This is to certified that Shri/Smt/Kum. .... son/wife/daughter of Shri .... age .... Sex .... identification mark (s) .... is suffering from permanent disability of following category.

A. Locomotor or cerebral palsy:

(i) BL-Both legs affected but not arms.

(ii) BA-Both arms affected
- (a) Imparied reach
- (b) Weakness or grip

(iii) BLA-Both legs and both arms affected

(iv) OL-One leg affected (right or left)
- (a) Imparied reach
- (b) Weakness of grip
- (c) Ataxic

(v) OA-One arm affected
- (a) Imparied reach
- (b) Weakness of grip
- (c) Ataxic

(vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stood)

(vii) MW- Muscular weakness and limited physical endurance

B. Blindness or Low Vision:
- (i) B-Blind
- (ii) PB-Partialy Blind

C. Hearing impairment:
- (i) D-Deaf
- (ii) PD-Partially Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/ not likely to improve. Re-assessn of this case is not recommended/is recommended after a period of .... year .... months.
3. Percentage of disability in his/her case is .... percent.
4. Sh./Smt./Kum. .... meets the following physical requirements discharge of his/her duties:

(i) F-can perform work by manipulating with fingers.	Yes/No
(ii) PP-can perform work by pulling & pushing.	Yes/No
(iii) L-can perform work by lifting.	Yes/No
(iv) KC-can perform work by kneeling and crouching.	Yes/No
(v) B-can perform work by bending.	Yes/No
(vi) S-can perform work by sitting.	Yes/No
(vii) ST-can perform work by standing.	Yes/No
(viii) W-can perform work by walking	Yes/No
(ix) SE-can perform work by seeing.	Yes/No
(x) H-can perform work by hearing/speaking.	Yes/No
(xi) RW-can perform work by reading and writing.	Yes/No

(Dr. ....)	(Dr. ....)	(Dr. ....)
Member	Member	Chairperson
Medical Board	Medical Board	Medical Board

Countersigned by the Medical Superintendent/ CMO/HQ Hospital (with seal)

Strike out which is not applicable.

उ.प्र. लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... निवासी .... ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) ....

continued...

पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र)/पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री का पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) ..... के आश्रित हैं।

हस्ताक्षर .....
पूरा नाम .....
स्थान ..... मुहर .....
दिनांक ..... जिलाधिकारी .....
सील .....

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं

शासनादेश संख्या–22/21/1983–कार्मिक–2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985

प्रमाण–पत्र के फार्म – 1 से 4 प्रारूप –1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम ..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवासी ..... पूरा पता ..... ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित ..... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) ..... में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....
दिनांक ..... नाम .....
पद .....
संस्था का नाम.....
मुहर .....

नोट : यह प्रमाण–पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम ..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवासी (पूरा पता) ..... ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... में (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) ..... आयोजित राष्ट्रीय ..... में (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र ..... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....
दिनांक ..... नाम .....
पद .....
संस्था का नाम .....
पता .....
मुहर .....

नोट : यह प्रमाण–पत्र प्रदेशीय खेल–कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम ..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवास (पूरा नाम) ..... विश्वविद्यालय की कक्षा ..... के विद्यार्थी ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय ..... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद ..... विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....
दिनांक ..... नाम .....
पद .....
संस्था का नाम .....
मुहर .....

नोट : यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल–कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल–कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश ..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवास (पूरा नाम) ..... में ..... स्कूल में कक्षा ..... के विद्यार्थी ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की ..... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....
दिनांक ..... नाम .....
पद .....
संस्था का नाम .....
मुहर .....

नोट : यह प्रमाण–पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा ..... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

परिशिष्ट–4

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन/वैकल्पिक विषय का एक प्रश्नपत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 120 (वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न तथा सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न) होगा जो कुल 300 अंकों का तथा समय 2 घंटों का होगा।

पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन

1– सामान्य विज्ञान
2– भारत का इतिहास
3– भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
4– भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति
5– भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार
6– विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन
7– अधुनातन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम
8– सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता
9– उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन–सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी
10– प्रारम्भिक गणित (आठवीं स्तर तक) – अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित
11– परिस्थितिकी तथा पर्यावरण

वैकल्पिक विषय (Optional Subject)

वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की भांति होगा।

परिशिष्ट 5

मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

1. प्रथम प्रश्नपत्र–	सामान्य हिन्दी एवं निबन्ध (परम्परागत)	समय–02 घंटा	पूर्णांक– 100 अंक
2. द्वितीय प्रश्नपत्र–	वैकल्पिक विषय (परम्परागत)	समय– 03 घंटा	पूर्णांक– 300 अंक

पाठ्यक्रम

प्रथम खण्ड सामान्य हिन्दी निर्धारित अंक– 50

1– अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे सम्बन्धित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक।

2– अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यावाची शब्द, तत्सम एवं तदभव, क्षेत्रीय विदेशी (शब्द भण्डार), वर्तनी, अर्थबोध, शब्द–रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिन्दी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरें एवं लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां तथा हिन्दी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां।

द्वितीय खण्ड हिन्दी निबंध निर्धारित अंक– 50

इसके अन्तर्गत एक खण्ड होगा। इस खण्ड में से एक निबन्ध लिखना होगा। इस निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 1000 शब्द होगी। निबंध हेतु निम्नवत् क्षेत्र होंगेः–

1– साहित्य, संस्कृति
2– राष्ट्रीय विकास योजनाएं/क्रियान्वयन
3– राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय, सामयिक सामाजिक समस्यायें/निदान
4– विज्ञान तथा पर्यावरण
5– प्रकृतिक आपदायें एवं उनके निवारण
6– कृषि, उद्योग एवं व्यापार

(2) (Optional Subjects)

वैकल्पिक विषय

(द्वितीय प्रश्न पत्र)

परीक्षा योजना– वैकल्पिक विषयों के (परम्परागत) प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत हैः–

1– प्रश्नों की कुल संख्या– 20 होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। सभी प्रश्न खण्डों में विभाजित रहेंगे।

खण्ड – अ– के अन्तर्गत प्रश्नपत्र में 05 प्रश्न सामान्य उत्तरीय (उत्तरों की शब्द सीमा 250) एवं प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा।

खण्ड – ब– के अन्तर्गत 05 प्रश्न लघुउत्तरीय (उत्तरों की शब्द सीमा 150) एवं प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा।

खण्ड – स– के अन्तर्गत 10 प्रश्न अतिलघु उत्तरीय (उत्तरों की शब्द सीमा 50) एवं प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा।

वैकल्पिक विषय पाठ्यक्रम

हिन्दी

– **हिन्दी साहित्य का इतिहासः** हिन्दी–साहित्य के इतिहास–लेखन की परम्परा, हिन्दी–साहित्य के इतिहास का काल–विभाजन। आदिकाल– नामकरण, प्रमुख प्रवृतियाँ। भक्तिकाल– सामान्य विशेषताएँ, भक्तिकाल की धाराएँ– ज्ञानाश्रयी काव्यधारा, प्रेमाश्रयी (सूफी) काव्यधारा, कृष्णभक्ति काव्यधारा– रामभक्ति काव्यधारा, चारों काव्यधाराओं की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। रीतिकाल–नामकरण, प्रमुख प्रवृत्तियाँ। आधुनिक काल– भारतेन्दुयुग, द्विवेदीयुग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नयी कविता, प्रपद्यवाद, नवगीत। विभिन्न कालों के प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएँ। प्रसिद्ध काव्य–पंक्तियों एवं सूक्तियों के लेखकों/कवियों के नाम।

– **गद्य–साहित्य का उद्भव और विकासः** निबन्ध, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना। गद्य की अन्य नवीन विधाएँ–जीवनी–साहित्य, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, यात्रा–साहित्य, डायरी–साहित्य, व्यंग्य, इण्टरव्यू, बाल–साहित्य, स्त्री–विमर्श, दलित–विमर्श। युगप्रवर्त्तक लेखकों के नाम तथा उनकी प्रमुख रचनाएँ।

– **पत्रकारिताः** प्रमुख हिन्द पत्र–पत्रिकाएँः प्रकाशन–स्थान, प्रकाशन–वर्ष तथा उनके प्रमुख सम्पादकों के नाम।

– **काव्यशास्त्रः** भारतीय काव्यशास्त्र–काव्यलक्षण, भेद। रस, छन्द, अलंकार, काव्य–सम्प्रदाय, काव्ययुग, काव्यदोष, शब्दशक्तियाँ।

– **भाषाविज्ञानः** हिन्दी की उपभाषाएँ, विभाषाएँ, बोलियाँ, हिन्दी की ध्वनियाँ, हिन्दी शब्द–सम्पदा।

– **हिन्दी–व्याकरणः** सन्धि, समास, कारक, लिंग, वचन, काल, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वर्तनी–सम्बन्धी अशुद्धिशोधन, वाक्य–सम्बन्धी अशुद्धिशोधन, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, समोच्चरित–प्राय भिन्नार्थक शब्द, विरामचिन्ह, मुहावरा और लोकोक्ति। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। उपसर्ग, प्रत्यय।

– **संस्कृत**– साहित्य के प्रमुख रचनाकारों के नाम एवं उनकी प्रमुख कृतियाँः कालिदास, भवभूति, भारवि,

continued..

माघ, भास, बाण, श्री हर्ष, दण्डी, मम्मट, भरतमुनि, विश्वनाथ, राजशेखर तथा जयदेव।

– **संस्कृत व्याकरणः** सन्धि–स्वर सन्धि, व्यंजन सन्धि, विसर्ग सन्धि। समास, उपसर्ग, प्रत्यय। विभक्ति– चिन्ह (परसर्ग)– प्रयोग एवं पहचान। शब्दरूप– आत्मन्, नामन्, जगत्, सरित्, बालक, हरि, सर्व, इदम्, अस्मद्, युष्मद्। धातुरूप– स्था, पा, गम्, पठ्, हस्, धातु– केवल परस्मैपदी रूप में। काल। हिन्दी– वाक्यों का संस्कृत अनुवाद।

English

Section 'A'

A. Authors and works

Geoffrey Chaucer; Shakespeare, John Milton, Dryden, Pope William Wordsworth, P.B. shelley, John Keats, A.L. Tennyson Matthew Arnold, Charles Dickens, Thomas Hardy, W.B, Yeat T.S. Eliot,. G.B. Shaw, George orwell, Raja Rao, Mulkraj Anand Nissim Ezzekiel, Robert Frost, Ernest Hemingway, Harold Pinte R.N. Tagore, Girish Karnad, & V.S. Naipal,

B. Literary terms, Movements, Forms, Literary criticism

* Renaissance,
* Reformation,
* Metaphysical Poetry,
* Classicism
* Romanticism,
* The Pre- Raphaelites,
* Modern Literature
* Major stanza Forms
* Sonnet
* Ballad
* Mock Epic
* Elegy

Aristotle, Dryden, Dr. Johnson, S.T. Coleridge Wordsworth, Matthew Arlold, T.S. Eliot.

Section 'B' Language

* A short unseen passage for comprehension
* Correction of sentences
* Direct and Indirect narration
* Transformation of sentences including Active & Passive Voice
* Synonyms,
* Antonyms,
* Homonyms
* Rearranging the Jumbled sentences
* Fill in the blanks with appropriate Prepositions.
* Idioms & phrases
* One word substitution
* Figure of speeches
* Prefixes & Suffixes

भौतिकी

1– **यान्त्रिकीः** संदिश बीजगणित, सदिश एवं अदिश का गुणनफल, सदिशों की सर्वसमिका, सदिश कैलकुलस की पृष्ठभूमि, रेखा, पृष्ठ एवं आयतन कैलकुलस की अवधारणा, प्रवणता, डाइवर्जेन्स और कर्ल का भौतिक अर्थ, गौस एवं स्टोक का प्रमेय।

द्रव्यमान केन्द्र, धूर्णी निर्देश तंत्र, कारिआलिस बल, दृढ़ पिण्ड की गति, जड़त्व–आधूर्ण, समान्तर एवं लम्बवत अक्षीय प्रमेय, गोला, रिंग, बेलन एवं चक्रिका का जड़त्व–अधूर्ण, कोणीय संवेग, बल –आधूर्ण, केन्द्रीय बल, केपलर के लिए नियम, उपग्रह की गति (भूस्थैतिकी उपग्रह सहित) गैलीलियन रूपान्तरण समीकरण, द्रव्यमान एवं लम्बाई का वेग के साथ परिवर्तन, काल–बृद्धि, वेगों का योग और द्रव्यमान–ऊर्जा समतुल्यता का सम्बन्ध।

धारारेखीय एवं विक्षोभ प्रवाह, रेनाल्ड संख्या, स्टोक्स का नियम, पाइजुली का सूत्र, केशनली में द्रव का प्रवाह, बरनौली का सूत्र एवं अनुप्रयोग, पृष्ठ तनाव।

प्रतिबल एवं विकृति का सम्बन्ध– हुक का नियम, प्रत्यास्थता गुणांक, पायसां–निष्पत्ति प्रत्यास्थ ऊर्जा।

2– **तापीय भौतिकीः** ताप की संकल्पना एवं शून्यता नियम ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम एवं आन्तरिक ऊर्जा, समतापीय एवं रूद्धोष्म परिवर्तन। ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम, एन्ट्रापी कार्नो चक एवं कार्नोइंजिन मैक्सवेल के उष्मागतिकी सम्बन्ध, क्लासियस क्लेपरान समीकरण, पोरस प्लग प्रयोग एवं जूल –थामसन प्रभाव।

गैसों का अणुगति सिद्धान्त, मैक्सवेल के अणुगति वितरण का नियम। औसत वेग, वर्ग माध्य मूल वेग एवं सर्वाधिक प्रायिकता वाले वेग की गणना। स्वतंत्रता कोटि, ऊर्जा का समविभाजन का नियम, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा माध्य मुक्त पथ, परिवहन घटनाएं।

कृष्णिका विकिरण, स्टीफन का नियम एवं न्यूटन का शीतलन नियम, वीन का नियम, रेले जीन का नियम, प्लांक का नियम, सौर स्थिरांक, रूद्धोष्म विचुम्बकन द्वारा निम्न ताप का उत्पादन।

3– **तरंग एवं दोलनः**–

दोलन, सरल आवर्त गति, प्रगामी एवं अप्रगामी तरंगें, अवमंदित आवर्तगति, प्रणोदित दोलन तथा अनुनाद, अनुनाद की तीक्ष्णता, तरंग गति, समतलीय एवं गोलीय तरंगें, तरंगों का अध्यारोपण, आवर्ती तरंगों का फुरिये विश्लेषण– वर्गीय तथा त्रिभुजन–कर्ता तरंगें, कलावेग एवं समूह वेग, विस्पन्द

4– **प्रकाशिकी**– समअक्षीय निकाय के प्रधान विन्दुए, पतले लेसों के संयोजन पर आधारित सरल प्रश्न, नेत्रिका–रेम्सडन व हाइगेन्स।

हाइगेन्स का सिद्धान्त, व्यतिकरण के निरूपण की शर्तें, यंग का दो पट्टियों का प्रयोग।

आयाम एवं तरंगाग्र का विभाजन,फेनेल का द्विक प्रिज्म, न्यूटन –बलय, माइकल्सन का व्यतिकरणमापी

सीधी कोर (Straight edge), एकल, द्विक, बहु झिर्री द्वारा, विवर्तन, रैले निकष (कसौटी), ग्रेटिंग व प्रकाशीय यंत्रों की विभेदन क्षमता।

ध्रुवीकरण, ध्रुवित प्रकाश(रेखीय, वृत्तीय व दीर्घवृत्तीय) का उत्पन्न करना तथा संसूचन, ब्रुस्टर का नियम, हाइगेन्स की द्विक अपवर्तन का नियम, प्रकाशीय घूर्णन, ध्रुवणमापी,

लेसर–कालिक तथा स्थानिक सम्बद्वता, स्वतः व प्रेरित उत्सर्जन, लेसर उर्त्सजन के बारे में सामान्य अभिधारणा–रूबी तथा हीलीयम–नियॉन लेसर।

5– **विद्युत तथा चुम्बकत्वः**– गॉस–नियम तथा अनुपयोग, विद्युत विभव, किरचॉफ का नियम तथा अनुप्रयोग, हीटस्टोन सेतु, बायो–सेवर्ट नियम तथा इसका अनुप्रयोग, एम्पीयर का परिपथीय नियम एवं अनुप्रयोग, चुम्बकीय प्रेरण तथा क्षेत्र तीव्रता वृत्तीय, कुण्डली के अक्ष पर चुम्बकीय क्षेत्र, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, फैराडे तथा लेंज का नियम, स्व तथा अन्योन्य प्रेरकत्व प्रत्यावर्तीधारा, एल0सी0आर0 परिपथ, श्रेणी एवं समान्तर अनुनाद परिपथ, क्वालिटी(गुणवत्ता) गुणांक), प्रत्यावर्ती सेतु, मैक्सवेल के समीकरण तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगें, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, प्वाइंटिग सदिश,–प्रति.,– अनु–,लौह,–, प्रतिलौह– तथा फेरी– चुम्बकत्व(गुणात्मक), शैथिल्य।

6– **आधुनिक भौतिकीः**– हाइड्रोजन परमाणु का बोर का सिद्धान्त, इलेक्ट्रान चकण, पाउली का अपवर्जन सिद्धान्त, प्रकाशीय तथा एक्स–किरण स्पेक्ट्रा, दिशिक क्वान्टमीकरण, स्टर्न–गेंरलॉक का प्रयोग, परमाणु का सदिश मॉडल,

स्पेक्ट्रल पद, स्पेक्ट्रल रेखाओं का सूक्ष्म संरक्षण, जे0जे0 तथा एल–एस युग्मक जीमॉन, रामन, प्रकाश–विद्युत एवं काम्पटन–प्रभाव, द ब्राग्ली तरंगें, तरंग कण द्वैत, अनिश्चितता का सिद्धान्त, क्वांटम यांत्रिकी की अवधारणायें, श्रोडिजर तरंग समीकरण, तथा (1) बाक्स में कण, (2) सोपान–विभव में गति एवं (3) एकल विमीय रेखीय आवर्ती लोलक में उपयोग, आइगन–मान, जालक, विशिष्ट ऊष्मा, ऊर्जा बैण्ड, कॉनी–पेनी माडल(एकल विमीय), ऊर्जा गैप, धातुओं, अर्धचालकों एवं कुचालकों में अन्तर, ताप के साथ फर्मी स्तर का परिवर्तन, प्रभावी द्रव्यमान।

रेडियोधर्मिता, अल्फा, बीटा तथा गामा विकिरण, अल्फा ह्रास का प्रारम्भिक सिद्धान्त, नाभकीय बन्धन ऊर्जा, अर्धमूलानुपातिक द्रव्यमान सूत्र, नाभकीय विखण्डन तथा संलयन, प्रारम्भिक रियक्टर भौतिकी, मूल कण, कण त्वरक, साइक्लोट्रान, रेखीय त्वरक, अतिचालकता की प्रारम्भिक धारणा।

7– **इलेक्ट्रानिक**– निज तथा बाह्य अर्द्ध चालक, पीएन सन्धि, (pn Junction) ऊष्मा प्रतिरोधक, जेनर डायोड, और अभिलाक्षणिक वक्र, द्विध्रुवीय एवं एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर, सौर सेल, डायोड एवं ट्रांजिस्टर का दिष्टीकरण प्रवर्धन, द्योलक, माडूलेटर तथा संसूचक के रूप में उपयोग, रेडियो–आवृत्ति तरंगों का संसूचन, लाजिक गेट तथा उसकी सत्य तालिका, तथा अनुप्रयोग।

रसायन विज्ञान

(अ) भौतिक रसायन– गैसों का आणविक वेग, माध्य मुक्त पथ तथा संघट्ट व्यास, गैसों का द्रवीकरण, आदर्श तथा अनादर्श गैसों में जूल थामसन गुणांक, व्युत्क्रम ताप, आदर्श गैस व्यवहार से विक्षेप, वान डर वाल्स समीकरण अवस्था, संगत अवस्था नियम, क्रान्तिक स्थिरांक तथा वान डर वाल्स स्थिरांकों के साथ इनके सम्बन्ध।

द्रव अवस्था– पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव पर ताप का प्रभाव, श्यानता, ताप और दाब का श्यानता पर प्रभाव।

ठोस अवस्था– क्रिस्टलीय निकायों में सममिति, मिलर सूचकांक, बन्द निचयन, सह संयोजन संख्या, Naϵ1 और ϵaf_2 की संरचना, क्रिस्टल दोष।

उष्मा गतिकी– उष्मा गतिकी का प्रथम नियम तथा इसकी सीमाएं, निकायों की एन्थैल्पी, अभिक्रिया उष्मा, संभवन उष्मा, दहन उष्मा तथा उदासीनीकरण, उष्मा, ह्वेस का नियम तथा इसके उपयोग, आबन्ध उर्जा तथा अनुनाद उर्जा, स्थिर आयतन एवं स्थिर दाब पर उष्मा धारिताएँ, Cp तथा Cv में सम्बन्ध, विस्तीर्ण तथा मात्रा स्वंतत्र गुणधर्म, उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम, कार्नो चक्र, एन्ट्रोपी की अवधारणा, ताप तथा आयतन। दाब के परिवर्तन के साथ एन्ट्रोपी में परिवर्तन, मुक्त उर्जा की अवधारणा, हेल्म–होल्टज तथा गिब्स मुक्त उर्जा, गिब्स हेल्स–होल्ट्स समीकरण, साम्यावस्था की उष्मा गतिकी की कसौटी, क्लेपिरान–क्लासियस समीकरण तथा इसके उपयोग, वान्ट हाफ समीकरण तथा गिब्स डूहेम समीकरण।

तनु विलियन– आदर्श तथा अनादर्श विलयन, राउल्ट–नियम, अणुसंख्य गुणधर्म (उष्मांगतिकी के आधार पर) विलयनों में वाष्पदाब अवनमन, परासरण दाब, क्वथनांक उन्नयन एवं हिमांक अवनमन, असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म तथा इसके आधार पर विलेय का अणुभार ज्ञात करना।

अन्तर सतह परिघटना– भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण, फ्रेन्डलिस अधिशोषण समतापीय, लैंग्म्यूर अधिशोषण समतापीय।

कोलायडी अवस्था– स्कन्दन, स्कन्दन मान, स्वर्ण संख्या हार्डी–शुल्ज नियम, कोलायडो का स्थायित्व, जीटा–विभव।

रासायनिक गतिकी– अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि, अभिक्रिया वेग, शून्य, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं एवं उनका निर्धारण, अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव, सक्रियण उर्जा, उत्प्रेरण, उत्प्रेरण की कसौटियाँ, एन्जाइम–उत्प्रेरण, आयनिक अभिक्रियाओं में प्राथमिक लवण प्रभाव।

रासायनिक साम्य– सक्रिय द्रव्यमान का नियम तथा समांगी एवं विषमांगी साम्यों में इसका उपयोग, Kp तथा Kc में सम्बन्ध, ली सैटेलियर नियम तथा रासायनिक साम्यों में इसका उपयोग, वियोजन की मात्रा तथा असमान्य अणुभार, लवणों का जल अपघटन, ब्रान्स्टेड तथा लुइस अम्ल तथा क्षार pH बफर तथा विलयन, अल्प विलेय लवणों की विलेयता तथा विलेयता गुणांक।

वैद्युत रासायन– वैद्युत चालकता–तुल्यांकी, विशिष्ट तथा आणविक चालकतायें, विलयन की तनुता के साथ चालकताओं में परिवर्तन, कोलराउश का नियम, चालकताओं को प्रभावित करने वाले कारक, एकाकी इलेक्ट्रोड के प्रकार तथा इनके विभव, सेल का विद्युत वाहक बल, नर्न्स्ट समीकरण, विद्युत वाहक बल तथा साम्य स्थिरांक, अभिगमन रहित तथा सहित सान्द्रण सेल की अवधारणा, द्रव संधि विभव, अभिगमन रहित रासायनिक सेल, ईंधन सेल।

(ब) अकार्बनिक–

परमाणु संरचना– इलेक्ट्रान का द्वैती स्वरूप, हाइजेनबर्ग का अनिश्चिता का सिद्धान्त, श्रडिजंर तरंग समीकरण, परमाणु कक्षक, क्वाण्टम संख्यायें, S.P.d कक्षकों की आकृति, आफवायु नियम एवं पाउली का अपवर्जन नियम, हुण्ड का नियम, तत्वों का इलेक्ट्रानिक विन्यास, आधुनिक आवर्तसारणी, तत्वों के आवर्ती गुण और आवर्तसारणी में इनकी प्रवृत्ति,

रासायनिक बन्ध – आयनिक बन्ध, जालिक ऊर्जा, बार्नहैबर चक्र, विलायक ऊर्जा, सहसंयोज बन्ध (फजान नियम), बन्ध क्रम, समांग एवं विषमांग नाभिकीय अणुओं के ऊर्जा, स्तर आरेख संकरण एवं अकार्वनिक अणुओं एवं आयनों की आकृति, संयोजकताकोष इलेक्ट्रान युग प्रतिकर्षण(वी.एस.आई.पी.आर.) सिद्धान्त एवं इसके उपयोग। नाभिक का स्थायित्व, द्रव्यमान दो एवं नाभिक बन्धन ऊर्जा, रेडियोधर्मिता, नाभिकीय संलयन तथा विखंडन, कार्बन डेटिंग

एस–ब्लाक के तत्व– लिथियम एवं बेरीलियम के रसायन, असमान्य व्यवहार तथा विव सम्बन्ध,

p ब्लाक के तत्व– तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता तथ समूह में वर्ताव, अक्रिय युग्म प्रभाव, इनके हाइड्राइडो एवं हेलाइडों की संरचना, O,N,P,S एवं हैलोजनों के आक्सी अम्ल, अन्तर हैलोजन

d–ब्लाक के तत्व– सामान्य लक्षण, परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था, संकुल संभवन, चुम्बकीय गुणधर्म, रंग तथा उत्प्रेरकी गुण, सकुल यौगिक–नामकरण, धात्वीय संकुलों का त्रिविम रसायन तथा समावयवता, प्रभावी परमाणु क्रमांक एवं संयोजकता आबन्ध सिद्धान्त, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धान्त, चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र स्थिरीकरण ऊर्जा, वर्ग समतलीय संकुलों में प्रतिस्थापन अभिक्रियायें, इलेक्ट्रानिक स्पेक्ट्रम, चतुष्फलकीय और अष्ठफलकीय संकुलों का आणविक कक्षक ऊर्जा, स्तर आरेख (केवल d1 -d 9 सिगमा–बन्ध) अवस्थाओं के लिए आर्गेल ऊर्जा, स्तर चित्र

कार्बधात्विक रसायन, कार्बधात्विक यौगिकों की परिभाषा, नामकरण तथा वर्गीकरण, जैव अकार्बनिक रसायन–मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल एवं स्यानोकोबाल अमीन की संरचना एवं कार्य।

एफ–ब्लाक के तत्व– इलेक्ट्रानिक संरचना, लेन्थेनाइड संकुचन एवं इसके प्रभाव, चुम्बकीय तथा स्पक्ट्रमी गुण धर्म एवं संक्रमण तत्वों से इनकी भिन्नता, आयनस्थान्तरण तथा विलायन निष्कर्षण विधियों से लेन्थेनाइर्डो का पृथक्करण, एक्ट्रिनाइडो का रसायन।

कार्बनिक रसायन–

1– कार्बनिक रसायन के कुछ मूल सिद्धान्त और तकनीकें:–

क– कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण

ख– कार्बनिक यौगिकों का आई0यू0पी0ए0सी, नामकरण

ग– कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाओं का प्रकार

घ– कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि

होमोलिटिक, हैटरोलिटिक विदलन, कार्बो. केटायन, कार्बएनायन, कार्बिन, मुक्त मूलक, इलेक्ट्रानस्नेही, नाभिक स्नेही, एस.एन.1 एवं एस.एन.2 अभिक्रियायें।

ङ– सह संयोजी बन्ध में इलेक्ट्रानों का विस्थापन– प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, अनुनाद, अति संयुग्मन

च– कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियाँ :–

प्रभाजी आसवन, भाप आसवन, वर्ण लेखन

छ– कार्बनिक यौगिकों में तत्वों का निर्धारण

2– **समावयवता**–संरचनात्मक समावयवता एवं त्रिविम समावयवता (ज्यामितीय एवं प्रकाशिक समावयवता) संरूपण, चलावयवता

3– **हाइड्रोकार्बनः**–

क– एल्केन, ऐल्कीन एवं ऐल्काइन के बनाने की विधियाँ एवं इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण ओजोनोलिसिस द्वारा एल्कीनों में द्विबन्ध की स्थिति का निर्धारण।

ख– सौरभिक यौगिकः– बेंजीन– एरोमेटिकता बनाने की विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुण, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन की क्रियाविधि– नाईट्रेशन, सल्फोनीकरण हैलाजनीकरण, फील्ड क्राफ्ट अभिक्रिया, बेंजीन की संरचना, कैंसरजनीयता और विषाक्तता। बेंजीन में मूलकों/समूहों के निर्देश प्रभाव यथा ओ0–पी0 या एम0 निर्देश करने वाले समूह।

टॉलूईन–बनाने की विधियाँ, गुण तथा उपयोग।

ग– बेंजीन के ब्युत्पन्न– फीनोल, एनीलीन, एनीसाल, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक अम्ल बनाने की विधि, भौतिक एवं रासायनिक गुण।

4– हैलोएल्केन बनाने की सामान्य विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुण। क्लोराफार्म एवं आयडोफार्म के बनाने की विधि तथा गुण, फ्रेयान।

5– **एल्कोहल**– वर्गीकरण, बनाने की सामान्य विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुण। निर्जलन की क्रियाविधि, डिनेचर्ड स्प्रिट, पावर अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल। किण्वन। ग्लिसरोल की प्रमुख रासायनिक क्रियायें।

6– **एल्डिहाइड एवं कीटोन**– बनाने की सामान्य विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुण, नाभिक सभी योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि।

continued..

size : 38x25
Kaka Advt. Ag.

7– **ईथर**– बनाने की सामान्य विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुण, धर्म एवं उपयोग।
8– **कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं उनके ब्युत्पन्न**–
क– अम्लों के बनाने की सामान्य विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्म। कार्बोक्सिलक अम्लों की अम्लीयता पर प्रतिस्थापित समूहों का प्रभाव।
ख– एसिड हैलाइड, एस्टर, एमाइड, अम्ल एनहाइड्राइड बनाने की विधि एवं सामान्य गुण।
9– **नाइट्रोजनयुक्त कार्बनिक यौगिकः**–
क– एमीन–वर्गीकरण, बनाने की सामान्य विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुण। ऐमीनों के क्षारीय गुण, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन की पहचान।
ख– नाइट्रोयोगिक– बनाने की सामान्य विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुण।
ग– सायनाइड और आइसोसायनाइड– बनाने की सामान्य विधियाँ, भौतिक तथा रासायनिक गुण।
10– **जैव अणुः**–
क– कार्बोहाइड्रेट– मोलिश परीक्षण, ग्लकोज एवं फ्रक्टोस– बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग, ग्लूकोस का बिन्यास, ग्लूकोस की रिंग संरचना, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, ग्लूकोज के एनोमर।
ख– प्रोटीन– अल्फा अमीनों अम्ल, पेप्टाइड बन्ध, पाली पेप्टाइड, प्रोटीन की संरचना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्रोटीन का विकृतीकरण, ज्वीटर आयन, आइसोइलेक्ट्रिक बिन्दु।
ग– लिपिड और हारमोनः–
बसा एवं तेल– परिचय, वसा तथा तेल में अन्तर, तेल और वसा के गुण।
स्टेरायड– प्राकृतिक एवं कृत्रिम स्टेरायड
हारमोन– वर्गीकरण, हारमोनों के शरीर क्रियात्मक प्रकार्य
घ– विटामिन– वर्गीकरण एवं कार्य, कमियों से होने वाले रोग।
ङ– न्यूक्लीक अम्ल– न्युक्लिओसाइड्स और न्युक्लिओटाइडस
डी0एन0ए0 की प्राथमिक संरचना
डी0एन0ए0 और आर0एन0ए0 में अन्तर
डी0एन0ए0 फिंगर प्रिन्टिंग।
11– **बहुलक**– वर्गीकरण (प्राकृतिक एवं संश्लेषित बहुलक) बहुलीकरण की विधियाँ– योग बहुलीकरण और संघनन बहुलीकरण।
योग बहुलीकरण– पालीथीन, टेफलान, पी0वी0सी0 ब्यूना–एस, ब्यूना–एन, नीओप्रिन।
संघनन बहुलीकरण– नायलान–6, नायलान 6,6, पालीएस्टर–टैरीलीन, बैकेलाइट, मिथाइल मेलामाइन। जैव अपघटनीय और जैव अनअपघटनीय बहुलक।
12– **दैनिक जीवन में रसायन**–
क– औषधियों में रसायन– पीड़ाहारी, प्रशान्तक, पूर्तिरोधी, विसंकामी, प्रतिसूक्ष्मजीवी औषधियाँ, प्रति जैविक, प्रतिअम्ल, प्रतिहिस्टेमीन, प्रतिआक्सीकारक,
ख– खाद्य पदार्थों में रसायन– खाद्य परिरक्षक, कृत्रिम मधुरक,
ग– अपमार्जक– साबुन तथा अपमार्जक में अन्तर।
साबुन की निर्मलन क्रिया।

जीव विज्ञान

खण्ड– अ– वनस्पति विज्ञान

(1) पादप विविधता
क– पौधों का वर्गीकरण (टेक्सोनॉमी)
ख– निम्नलिखित के प्रकृति, आवास एवं संरचना का अध्ययन
1– एल्गी 2– ब्रायोफाइटा 3– टेरिडोफाइटा
4– जिम्नोस्पर्म 5– एन्जियोस्पर्म एवं इसके कुलों, कूसी फेरी कम्पोजिटी, मॉलवेसी, लिलिएसी एवं सोलेनेसी का अध्ययन
2– एन्जियोस्पर्म– आकारिकी एवं आकारिकीय अनुकूलन उनकी पत्तियों, जड़ एवं तने में: पादप हिस्टोलोजी, पौधों में वृद्धि, प्रजनन एवं विकास
3– पदप कार्मिकी– 1– जल सम्बन्ध– वाष्पोत्सर्जन, ट्रान्सलोकेशन
2– प्रकाश संश्लेषण और फोटो केमिस्ट्री
3– श्वसन एवं उपापचय
4– पौधों के पोषण (पोषक तत्व नाइट्रोजन फिक्सेशन)
5– पौधों के वृद्धि नियंत्रक (फाइटोहार्मोन्स)
6– फ्लावरिंग एवं स्ट्रेस फीजियोलोजी
7– पादप वृद्धि एवं गति
4–माइक्रो वायॅलोजी–1– वायरसेज, फाइटो प्लास्मा, आर्की वैक्टीरिया यूवैक्टीरिया
2– फन्जॉई (सामान्य लक्षण, वर्गीकरण, वृद्धि एवं प्रजनन, जीवन चक्र)
3– आर्थिक महत्व सूक्ष्म जीवों का
5– इकोनामिक बाटनी– 1– मेडिसिनल एवं एरोमेटिक पौधे
2– भोज्य पादप
3– चारे सम्बन्धी पौधे
4– रेशेदार पौधे एवं फसलें
5– फल एवं सब्जियों वाले पौधे
6– इथिनो, बॉटनी
7– सजावटी पौधे
8– तेल पैदा करने वाले पौधे
9– टिम्बर उपयोगी पौधे
10– बहुपयोगी पौधे
6– प्लान्ट पैथोलोजी– 1– पौधों में विभिन्न बीमारियों, रोक थाम एवं देखभाल करके नियंत्रण।
2– पौधों में विभिन्न बीमारियों एवं परजीवियों क्रास नियंत्रण
7– इकोलोजी और वातावरण–
1– पारिस्थितिकीय अवधारणा एवं वातावरण
2– भिन्न प्रकार के आवास एवं इकोलॉजिकल निशें
3– पारिस्थितिक तन्त्र– संरचना एवं कार्य, पारिस्थितिक तन्त्र स्थायित्व, संग्रहण क्षमता, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जल, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिकीय पिरामिड बायोमास
4– जनसंख्या, बायोटिक कम्युनिटी
5– बायोजियो केमिकल्स–चक्र
6– इकोलॉजिकल सक्सेशन
7– प्राकृतिक संसाधन एवं उनका संरक्षण
8– जैव विविधता एवं संरक्षण (अनसिट् और इक्ससिट)
9– वातावरणीय प्रदूषण कारण एवं दुष्प्रभाव, वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ओजोन क्षरण, अम्ल वर्षा, युट्रा फिकेशन, वायोलॉजीकल मैगनीफिकेशन, समुद्री प्रदूषण, समुद्रीअम्लीकरण, समस्त प्रकार के प्रदूषणों का नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग एवं ग्रीन हाउस प्रभाव, इनवॉरानमेन्टल मैनेजमेन्ट, रिनियेवुल ऊर्जा स्रोत सस्टेनेवुल विकास, बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन व्यवस्था।

खण्ड–ब
जन्तु विज्ञान

1– जीव विविधता– जन्तुओं का वर्गीकरण उनके लक्षणों सहित।
2– अकशेरुकी–
अ– अकशेरुकी का वर्गीकरण।
ब– निम्नलिखित अकशेरुकी की–
संरचना, आन्तरिक संरचना, पोषण, श्वसन तथा प्रजनन–
अमीबा, साइकन, हाइड्रा, एस्केरिस, काकरोच, पायला तथा तारा–मछली।
स– परजीवी प्रोटोजोआ।
द– हेलमिन्थ में परजीवी अनुकूलन।
न– कीटों का आर्थिक महत्व।
3– कशेरुकी–
अ– कशेरुकी का वर्गीकरण तथा प्रत्येक वर्ग के लक्षण व उदाहरण।
ब– मछलियों में जलीय अनुकूलन।
स– स्थलीय कशेरुकी की उत्पत्ति तथा विकास।
4– मेढक, कबूतर तथा खरगोश की आन्तरिक संरचना।
5– जन्तु ऊतिकीय।
6– शरीर क्रिया विज्ञान– (कार्यिकी)–
अ– पोषण तथा भोजन का पाचन।
ब– श्वसन तथा उपापचय।
स– रुधिर संवहन तंत्र– रुधिर, हृदय तथा रुधिर संवहन, परिसंचरण।
द– आस्मोरेगुलेशन, नाइट्रोजन, उत्सर्जन तथा लवण व जल संतुलन।
न– चलन क्रिया।
प– अंतः– स्रावी ग्रन्थियां तथा हारमोन्स, फिरोमान्स।
फ– तंत्रिका तंत्र– कोआर्डीनेशन व इन्टीग्रेसन तथा ज्ञानेन्द्रियां।
म– प्रतिरक्षा तंत्र।
7– भ्रूण विज्ञान–
अ– गैमीटोजेनेसिस।
ब– फर्टीलाइजेसन– निम्न एवं उच्च वर्ग के जन्तुओं में।
स– डिम्ब के प्रकार तथा क्लीवेज।
द– आरगेनोजनीसिस एवं मेटामोरफोसिस।
न– मेढक का भ्रूणीय विकास तथा कायान्तरण।
प– पक्षियों में भ्रूणीय झिल्लियां।
फ– स्तनधारियों में अपरा।
म– पुनरुद्भवन।
य– मानव जनन एवं जनन कार्यिकी।
8– कोशिका विज्ञान–
1– प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाएं– इनकी संरचना व लक्षण।
2– कोशिका विभाजन– समसूत्री एवं अर्द्ध–सूत्री।
3– विभिन्न कोशिकांगों की संरचना एवं कार्य।
4– गुण–सूत्रों की संरचना तथा कोशिका विभाजन के समय इनका व्यवहार।
5– न्यूक्लिक अम्ल– (अ) डी0एन0ए0 एवं आर0एन0ए0 की आणुविक संरचना
(ब) एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डी0एन0ए0
(स) डी0एन0ए0 द्विगुणन तथा पुनर्निर्माण
(द) जेनेटिक कोड, सेन्ट्रल डोग्मा, प्रोटीन संश्लेषण तथा जीन की अभिव्यक्ति
9– आनुवंशिकी– (अ) मेन्डेल के आनुवंशिकी नियम
(ब) को–डामिनेन्स, इनकम्प्लीट डामिनेन्स तथा जीन्स की विनिमय क्रियाएं
(स) वंशागति क्रोमोसोंमी सिद्धान्त
(द) लिन्केज तथा क्रासिंग ओवर
(घ) लिंग निर्धारण
(प) बहुजीनी वंशागति तथा बहुगुणितता
(फ) मानव आनुवंशिक रोग
(भ) उत्परिर्वतन
10– जैव प्रोद्योगिकी– (अ) जैव प्रोद्यौगिकी की परिकल्पना, सिद्धान्त तथा क्षेत्र
(ब) जैव–प्रोद्यौगिकीकी संयम तथा तकनीक
(स) रिकाम्बिनेन्ट डी0एन0ए0 तकनीक तथा मानव–कल्याण में इसकी उपयोगिता
(द) टिश्यू कल्चर तथा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन
(न) जेनेटिकली मॉडीफाइड आर्गेनिज्म (जोखिम व नैतिक विषय)
11– जैव–विकास– (अ) जैव विकास की परिकल्पना एवं सिद्धान्त
(ब) जीवन की उत्पत्ति
(स) जैव–विकास के सिद्धान्त (लेमार्क एवं डार्विन)
(द) जैव–विकास के साक्ष्य
(न) नव–डार्विनिज्म तथा विकास की सिन्थैटिक थ्योरी
(प) विविधता
(फ) मानव विकास

गणित

1. सम्बन्ध और फलनः सम्बन्धों के प्रकार, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक और तुल्य सम्बन्ध, तुल्यता क्लास, एकैकी एवं आच्छादक फलन, संयुक्त फलन, प्रतिलोम फल, द्विआधारी संक्रियायें।
2. बीज गणितः
(i) आव्यूहः आव्यूह के प्रकार, शून्य आव्यूह, परिवर्त आव्यूह, सममित ओर वि सममित आव्यूह, आव्यूह का सहखण्डन, आव्यूह का प्रतिलोम, आव्यूह की सहायता से ती अज्ञात राशियों के युगपत के समीकरण का हल।
(ii) सारणितः उपसारणिक व सहखण्ड 3ग्3 क्रम तक के सारणिक का विस्तार सारणिक के गुण धर्म, सहखण्डज एवं प्रतिलोम ज्ञात करना (वर्ग आव्यूह का)। संगति ए असंगति तथा रेखीय समीकरणों का हल व उदाहरण। दो या तीन चर राशियों के रेखीय युगपद समीकरणों का हल प्राप्त करना।
(iii) दो या अधिक कोटि के समीकरण का सिद्धान्त, समान्तर, गुणोत्तर व हरात्मक श्रेणी, क्रमचय एवं संचय, द्विपद प्रमेय, चरघातांकी एवं लघुगणकीय सीरिज का योग।
(iv) प्रायिकताः प्रायिकता का गुणनप्रमेय, प्रतिबन्धित प्रायिकता, स्वतन्त्र घटनायें, पू प्रायिकता, वेजप्रमेय, द्विपद वितरण,
अवकलन एवं समाकलनः (i) फलन की सीमा, सततता एवं अवकलनियता, संयुक्त फलन व्युत्पत्ति या अवकलज, विभिन्न प्रकार के फलनों की अवकलजनियता, श्रृखला नियम, रो का प्रमेय, लैंग्राजि का मध्यमान प्रमेय, मेक्लारिन्स एवं टेलर श्रेणी, एल. हास्पिटल का नियम आंशिक अवकलन, क्रमागत अवकलन लिब्निट्ज का प्रमेय, दिये वक्र पर स्पर्शि एवं अभिलम्ब का समीकरण, निम्निष्ठ एवं उच्चिष्ठ, वर्धमान फलन व ह्रासवान फलन।
(ii) समाकलनः समाकलन के विभिन्न विधियाँ, निश्चित समाकलन, फलनों के योग एवं गुणन की सीमा, निश्चित समाकलन के गुणधर्म, निश्चित समाकलन को हल करना। साधारण वक्र के क्षेत्रफल में समाकलन का प्रयोग, गोले, कोन व सिलिण्डर का पृष्ठीय एवं आयतन ज्ञात करना।
(iii) अवकल समीकरणः अवकल समीकरण की कोटि एवं घात, जिसका सामान्य हल दिया हो उसका अवकल समीकरण बनाना, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण का हल, रैखिक अवकल समीकरण (अचर गुणांकों के), समघात अवकल समीकरण।
द्विवीमीय निर्देशांक ज्यामितिः समघातीय एवं असम–घातीय रेखायुग्म का समीकरण, रेखायुग्म होने का प्रतिबन्ध (वृत्त, परवलय, अतिपरवलय, दीर्घवृत्त) उपरोक्त वक्र पर स्पर्शियों एवं अभिलम्बों का समीकरण, दो शांकवों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, स्पर्शि युग्म, स्पर्श की जीवा, उपरोक्त शांकवों के ध्रुवीय रेखायें।
(i) सदिशः सदिश एवं अदिश राशिया, इकाई सदिश, दिकाज्या एवं दिक–अनुपात,
सादिशों का अचर का सदिश के साथ गुणन, अदिश एवं सदिश गुणन का भौतिकी में अनुप्रयोग (किया हुआ कार्य, आधुर्ण), रेखा का सदिश प्रक्षेप, दो सादिशों के मध्य का कोण।
(ii) त्रिकोणीय ज्यामितिः दो बिन्दुओं को मिलाने वाली रेखा का दिकोज्या दिकअनुपात रेखा का कार्तिय एवं सदिश समीकरण, समतलिय एवं विसमतलीय रेखायें रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, समतल में कार्तिक एवं सदिश का समीकरण, दो रेखा के मध्य का कोण, दो समतलों के मध्य का कोण, एक रेखा की समतल से दूरी, दो रेखा का प्रतिच्छेदन, रेखा एवं समतल का प्रतिच्छेदन दो समतलों का प्रतिच्छेदन, दो समतलों प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले समतल का समीकरण।

continued..

युगः उदाहरण– विशेष रूप से इकाई के द मूलों का ग्रुप, अवशेष वर्ग माडलों द त माडलों च (जहाँ च अभाज्य संख्या है) के ग्रुप, उपग्रुप, समाकारिता, तुल्यकारिता, समाकारिता के गुण, उपसमुच्चय द्वारा जनित उपग्रुप, ग्रुप के अवयव का कोटि, चक्रीय ग्रुप, समामित ग्रु ैद लैंगरेन्ज की प्रमेय, फरमैट की प्रमेय (उपयोगिता के दृष्टिकोण से) प्रासामान्य उपग्रुप समाकारिता का मौलिक प्रमेय, अंतराकारिता, स्वाकारिता, प्रथम एवं द्वितीय तुल्यकारिता प्रमेय।

वलय एवं क्षेत्रः सरल उदाहरण जैसे (Zn,+,.), (Zp,+,.)

रैखिक बीजगणितः सदिश समष्टि के उदाहरण, उपसदिश समष्टि, रेखिक आश्रितता, रैखिक अनाश्रितता, सदिश समष्टि का आधार एवं विमा, विभाग समष्टि, उपसदिश, समष्टियों क योग तथा प्रत्यक्ष योग।

रैखिक रूपान्तरणः रेखिक रूपान्तरण की अष्टि तथा प्रतिविम्ब, रैखिक रूपान्तरण की कोटि एवं शून्यता तथा कोटि–शून्यता का प्रमेय, संयुक्त रैखिक रूपान्तरण की कोटि एवं शून्यता ब्यूतक्रमणीय एवं नियमित रैखिक रूपान्तरण, रैखिक रूपान्तरण का परिवर्त, रैखिक रूपान्तरीकरण का आव्यूह।

सदिश अवकलनः ग्रेडियन्ट, डाइवर्जेन्स तथा कर्ल, प्रथम कोटि सदिश तत्संमक, दिक अवकल (अनुप्रयोग के अनुसार)

सदिश समाकलनः रेखीय समाकलन, पृष्ठ समाकलन, आयतन समाकलन, ग्रीन का प्रमेय, गॉस डाइवर्जेन्स प्रमेय, स्टोकस प्रमेय (अनुप्रयोग की दृष्टि से)।

रिमान समाकलनः असतत फलनों का समकलन, परिबध फलन का निम्न एवं उच्च समाकलन, पग फलन एवं चिन्ह फलन का समाकलन।

स्थिति विज्ञानः तीन बलों के अन्तर्गत किसी पिण्ड का सन्तुलन, समतलीय बल, समतलीय बल निकाय के अन्तर्गत सन्तुलन के सामान्य प्रतिबन्ध, गुरुत्व केन्द्र, कामन केटिनरि, घर्षण।

गति विज्ञानः गुरुत्व के अधिन उर्ध्वाधर समतल में प्रक्षेप की गति, कार्य, सामर्थ्य एवं ऊर्जा, चिकने पिण्डों का सीधा संघट्ठ, रेडियल एवं ट्रान्सवर्स वेग तथा त्वरण, स्पर्शीय एवं अभिलम्ब गति तथा त्वरण।

त्रिकोणमितिः त्रिकोणमितीय समीकरण, त्रिभुज के गुणधर्म, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, ऊंचाई और दूरी, सम्मिश्र संख्यायें, डिमायवर प्रमेय और इसके प्रयोग, इकाई के द मूल।

संस्कृत

वैदिक साहित्य

ऋग्वेद – अग्नि सूक्त (1.1.1), विश्वेदेवा सूक्त (1.89), विष्णु सूक्त (1.154), प्रजापति सूक्त (10.121)।

यजुर्वेद – शिव संकल्प सूक्त (34.1–6)।

कठोपनिषद् – प्रथम अध्याय (1–3 वल्ली)

ईशावास्योपनिषद – (सम्पूर्ण)

वैदिक वाङ्मय का संक्षिप्त इतिहास (काल निर्धारण, प्रतिपाद्य विषय)

वेदांग का संक्षिप्त परिचय (शिक्षा, निरुक्त, छन्द)

दार्शनिक चिन्तन

सांख्य दर्शन – सृष्टि प्रक्रिया, प्रमाण, सत्कार्यवाद, त्रिगुण का स्वरूप, पुरुष का स्वरूप (ग्रन्थ– सांख्यकारिका)

वेदान्त दर्शन – अनुबन्ध चतुष्टय, साधन चतुष्टय, माया का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप (ग्रन्थ– वेदान्तसार)

न्याय/वैशेषिक दर्शन – प्रमाण (प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द) (गन्थ– तर्कभाषा, तर्कसंग्रह)

गीता दर्शन – निष्काम कर्म योग, स्थितप्रज्ञ का स्वरूप (गीता : द्वितीय अध्याय)

जैन दर्शन एवं बौद्ध दर्शन का सामान्य परिचय (ग्रन्थ– भारतीय दर्शन –बलदेव उपाध्याय)

व्याकरण

1. लघुसिद्धान्त कौमुदी – संज्ञा प्रकरण, सन्धि प्रकरण, कृदन्त प्रकरण, तद्धित प्रकरण, स्त्री, प्रत्यय, समास।
2. सिद्धान्तकौमुदी – कारक प्रकरण।
3. वाच्य परिवर्तन (कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य)।
4. शब्द रूप (परस्मैपदी, आत्मनेपदी) – भू, एध, अद्, हु, दा, दिव्, सु, तुद्, रुध्, तन्, की, चुर।

भाषा विज्ञान

1. भाषा की उत्पत्ति और परिभाषा
2. भाषाओं का वर्गीकरण
3. ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन

साहित्य शास्त्र

काव्य प्रकाश/साहित्य दर्पण– काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, काव्यहेतु, काव्यभेद। शब्द–शक्ति (अभिधा, लक्षणा, व्यंजना)। रस का स्वरूप, रस भेद, विभाव–अनुभाव–सुचारी भाव, स्थायी भाव, भाव का स्वरूप। गुण का स्वरूप एवं भेद। रीति का स्वरूप एवं भेद। अधोलिखित अलंकार का सामान्य परिचय–शब्दालंकार–अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थालंकार– उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति, अर्थान्तरन्यास।

दशरूपक– नाट्य लक्षण, नाट्य भेद, अर्थप्रकृति, अवस्था, सन्धि, नायक का स्वरूप एवं भेद। पारिभाषिक शब्द– नान्दी, प्रस्तावना, सूत्रधार, कंचुकी, प्रवेशक, विष्कम्भक, प्रकाश, आकाशभाषित, जनान्तिक, अपवारित, स्वगत, भरतवाक्य।

ध्वन्यालोक (प्रथम उद्योत) – ध्वनि का स्वरूप।

लौकिक साहित्य

रामायण एवं महाभारतः काल निर्धारण, उपजीव्यता, महत्व।

प्रमुख काव्य– किरातार्जुनीयप(प्रथम सर्ग), शिशुपालवधा(प्रथम सर्ग), नैषधीयचरिता (प्रथम सर्ग), रघुवंशम् (द्वितीय सर्ग), कुमार सम्भव (प्रथम सर्ग)।

प्रमुख खण्ड काव्य– मेघदूतम् नीतिशतक।

प्रमुख गद्य काव्य– कादम्बरी (कथामुख), शिवराजविजयम्(प्रथम निःश्वास)।

कथा साहित्य– पंचतंत्र, हितोपदेशः।

नाटक– अभिज्ञानशाकुन्तलम् (1–4 अंक), उत्तररामचरिम् (1–3 अंक), मृच्छकटिकम् (प्रथम अंक), रत्नावली, प्रतिमा नाटकम्

चम्पू काव्य– नलचम्पू (आर्यावर्त वर्णन)।

महाकाव्य, खण्डकाव्य, गद्यकाव्य, चम्पू काव्य एवं नाट्य–काव्य की उत्पत्ति एवं विकास।

अर्थशास्त्र

1. सूक्ष्म अर्थशास्त्रः उपभोक्ता व्यवहार सिद्धान्त एवं माँग विश्लेषण– गणनावाचक एवं क्रम वाचक अवधारणायें, तटस्थता वक तकनीक, उत्पादन का सिद्धान्त, प्रतिफल पैमाने के प्रतिफल, उत्पादन फलन, लागत एवं आगम वक्र, विभिन्न बाजार दशाओं में फर्म का सन्तुलन–पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारिक प्रतियोगिता।
2. व्यापक अर्थशास्त्रः राष्ट्रीय आय– अवधारणा, घटक और लेखाँकन विधियाँ, रोजगार और आय के प्रतिष्ठित एवं कीन्स के सिद्धान्त, उपभोग एवं निवेश फलन, मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के तरीके, व्यापार चक्र के सिद्धान्त।
3. मुद्रा और बैंकिंगः मुद्रा की अवधारणा एवं कार्य, मुद्रा पूर्ति के निर्धारक तत्व, मुद्रा का परिणाम सिद्धान्त– फिशर और कैम्ब्रिज दृष्टिकोण, केन्द्रीय एवं व्यापारिक बैंक के कार्य–साखसृजन, केन्द्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के तरीके।
4. सार्वजनिक वित्तः आर्थिक क्रियाओं में सरकार की भूमिका, करारोपण– प्रत्यक्ष एवं परोक्षकर, घाटे की अवधारणा और भारत की संघीय सरकार का बजट, सार्वजनिक व्यय–प्रभाव एवं मूल्यांकन, सार्वजनिक ऋण, वित्त आयोग, राजकोषीय नीति।
5. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विदेशी विनिमयः व्यापार सन्तुलन एवं भुगतान सन्तुलन, विदेशी विनियम दर–क्रय शक्ति समता एवं भुगतान सन्तुलन सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें– आई0एम0एफ0, आई0बी0आर0डी0, आई0डी0ए0, एशियाई विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन आदि।
6. भारतीय अर्थव्यवस्थाः भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएँ, नियोजन– उद्देश्य, दृष्टिकोण, प्राथमिकताएँ एवं संसाधन गतिशीलता की समस्याएँ, भारत में जनसंख्या, गरीबी एवं बेरोजगारी सम्बन्धित नीतियाँ, कृषि नीति– खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अवस्थापना विकास सम्बन्धी मुद्दे तथा ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों का मूल्यांकन, औद्योगिक नीति– औद्योगिक सुधार एवं औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं लघु पैमाने के उपक्रम।
7. प्रारम्भिक साँख्यिकीः साँख्यिकी का अर्थ एवं महत्व, समंक संग्रहण, विश्लेषण एवं प्रदर्शन, केन्द्रीय प्रवृति की माप, अपकिरण की माप, सहसम्बन्ध, निदर्शन के तरीके, सूचकांक एवं समय श्रृंखला विश्लेषण।

नागरिकशास्त्र (खण्ड–अ)

– राजनीति शास्त्र– अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र।
– राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, राजनीतिक चिन्तन, राजनीतिक दर्शन, राजनीति सिद्धान्त में अन्तर।
– राजनीति शास्त्र का विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान एवं नीतिशास्त्र से सम्बन्ध।
– नागरिक शास्त्र की परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र।
– नागरिकता का अर्थ– अर्जन एवं खोने की विधियाँ, आदर्श नागरिक के लक्षण, आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधायें, पर्यावरण सुरक्षा के प्रति नागरिक दायित्व।
– राज्य की अवधारणा, तत्व एवं उद्भव के सिद्धान्त– सामाजिक समझौता, विकासवादी एवं मार्क्सवादी।
– राज्य के कार्यों के सिद्धान्त– उदारवादी, समाजवादी एवं लोक कल्याकारी सिद्धान्त।
– सम्प्रभुता– शक्ति, सत्ता एवं प्रभाव।
– कानून, स्वतंत्रता, समानता, न्याय।
– संविधान का अर्थ, प्रकार एवं वर्गीकरण।
– सरकार की अवधारणा– आधुनिक शासन प्रणालियाँ–संघात्मक एवं एकात्मक, संसदीय एवं अध्यक्षात्मक।
– सरकार के अंग– व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका– संगठन, कार्य, महत्व तथा इनके पारस्परिक सम्बन्ध।
– लोकतंत्र की अवधारणा– अर्थ, प्रकार एवं सिद्धान्त।
– दलीय प्रणाली, दबाव समूह एवं सिद्धान्त।
– निर्वाचन प्रणालियाँ एवं मताधिकार।
– राष्ट्र की अवधारणा, राष्ट्रीयता, अन्तर्राष्ट्रीयता एवं गुटनिरपेक्षता।
– राजनीति व्यवस्था के विघटनकारी तत्व– जाति, भाषा, साम्प्रदायिकता एवं क्षेत्रवाद।
– राजनीति विज्ञान में अभिनव प्रवृत्तियाँ– उदारीकरण, निजीकरण, भूमण्डलीकरण, स्वातंत्रयवाद, समतावाद, गवर्नेन्स की अवधारणा, राज्य–बाजार, बहस, पंचायतीराज और नव सामाजिक आन्दोलन
– भारतीय राजनीतिक चिन्तक– मनु, कौटिल्य, महात्मा गाँधी, अम्बेडकर।

(खण्ड–ब)

– भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास एवं संविधान निर्मात्री सभा
– भारतीय संविधान–प्रस्तावना, प्रमुख विशेषतायें, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन प्रक्रिया एवं प्रमुख संविधान संशोधन, धारा 370 ।
– भारतीय संघीय व्यवस्था एवं केन्द्र–राज्य सम्बन्ध।
– संघीय सरकार का गठन एवं उसकी कार्यविधि संघीय कार्यपालिका– राष्ट्रपति–निर्वाचन, कार्य एवं शक्तियाँ, आपात उपबन्ध। उपराष्ट्रपति– निर्वाचन एवं कार्य।
– संघीय मन्त्रिपरिषद– नियुक्ति तथा कार्यविधि। प्रधानमन्त्री की नियुक्ति, कार्य एवं महत्व।
– संघीय व्यवस्थापिका–
  संसद– राज्य सभा एवं लोक सभा का संगठन, शक्तियाँ एवं अधिकार तथा पारस्परिक सम्बन्ध।
– संघीय न्यायपालिका
  सर्वोच्च न्यायालय– गठन एवं शक्तियाँ।
  न्यायिक पुनरावलोकन, जनहित याचिकायें।
– राज्य सरकार का गठन एवं कार्यविधि (उ0प्र0 के विशेष सन्दर्भ में)
  राज्य की कार्यपालिकाः राज्यपाल–नियुक्ति, शक्तियाँ, विशेषाधिकार एवं भूमिका।
  मन्त्रिपरिषद– गठन एवं कार्य
  मुख्यमन्त्री– नियुक्ति, शक्तियाँ, राज्यपाल तथा मन्त्रिपरिषद से सम्बन्ध।
– राज्य की व्यवस्थापिका
  विधानमण्डल– गठन, कार्य एवं शक्तियाँ। विधान सभा एवं विधान परिषद के पारस्परिक सम्बन्ध।
– राज्य की न्यायपालिका– उच्च न्यायालय एवं क्षेत्राधिकार।
– स्थानीय शासन एवं स्थानीय स्वशासन जिलाधिकारी के कार्य एवं शक्तियाँ। जिला न्यायालय– गठन एवं कार्य। लोक अदालत। 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के विशेष सन्दर्भ में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा एवं स्वरूप।
– भारत में सार्वजनिक अभिकरण एवं आयोग। योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, अन्तरराज्य परिषद,
– लोकपाल एवं लोक आयुक्त।
– भारत की विदेशनीति, क्षेत्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानवाधिकार एवं गुटनिरपेक्ष आन्दोलन।

भूगोल

अर्थ एवं विषय–क्षेत्र, अध्ययन उपागम एवं प्रविधि, प्रमुख भौगोलिक विचारधारायें–नियतिवाद, सम्भववाद, सम्भाव्यवाद, प्रदेशवाद, तार्किक प्रत्यक्षवाद एवं व्यवहारवाद।

वायुमंडल– संरचना, सूर्यातय एवं ताप बजट, तापमान का क्षैतिज एवं लम्बवत वितरण, तापमान विलोमता। वायु–दाब पेटियाँ एवं स्थानीय पवनें, वायुदाब पेटियों का खिसकाव एवं उनका प्रभाव। आर्द्रता, वर्षा एवं वर्षण के प्रकाश चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। विश्व जलवायु का वर्गीकरण–कोपेन एवं थार्नथ्वेट द्वारा, विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश।

पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टान एवं उनके प्रकार, भूविवर्तनिक सिद्धान्त। ज्वालामुखी एवं भूकम्प। वलन एवं भ्रंशन– उनसे उत्पन्न स्थलाकृतियाँ। डेविस का अपरदन चक्र सिद्धान्त। नदी, भूमिगत जल, वायु, समुद्र एवं स्थलाकृतियाँ।

महासागरीय निक्षेप,महासागरीय नितल। महासागरीय जल का तापमान एवं लवणता। महासागरीय धारायें, ज्वार–भाटा एवं तरंगें। प्रवाल द्वीप एवं प्रबाल भित्तियाँ– उत्पत्ति, वितरण एवं पर्यावरणीय महत्व।

पारिस्थितिकीय तंत्र की संकल्पना, स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के प्रकार एवं विवरण। निर्वनीकरण–समस्या एवं समाधान, आपदायें– प्रकार एवं प्रबन्धन।

मानव पर्यावरण अर्न्तसम्बन्ध, प्रौद्योगिकी का प्रभाव–कृषि क्रान्ति, औद्योगिक एवं सूचना क्रान्ति। जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण प्रतिरूप। जनांकिकीय संक्रमण सिद्धान्त। ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास।

संसाधन संकल्पना एवं संसाधनों का वर्गीकरण, जल, मिट्टी, खनिज एवं ऊर्जा– उपयोग, समस्यायें एवं संरक्षण, संसाधन संरक्षण के सिद्धान्त, विश्व की प्रमुख फसलें– चावल, गेहूँ, कपास, गन्ना, चाय, कहवा, रबर की भौगोलिक परिस्थितियाँ, विश्व वितरण, उत्पादन एवं व्यापार। कृषि के प्रकार एवं कृषि–प्रदेश। औद्योगिक स्थानीकरण के कारण, औद्योगिक अवस्थिति के प्रमुख सिद्धान्त, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रमुख व्यापारिक प्रखण्ड, प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग एवं बन्दरगाह।

सांस्कृतिक तत्व, विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडल, प्रजातियाँ एवं जन–जातियाँ।

प्रदेश की संकल्पना एवं प्रकार, विकसित एवं विकासशील देशों की विशेषतायें। विश्व के प्रमुख प्रदेशों का अध्ययन– आँग्ल, अमेरिका, यूरोपीय समुदाय, रूस, चीन, जापान, दक्षिणी–पूर्वी एशिया एवं दक्षिणी–पश्चिमी एशिया।

भारत का प्राकृतिक स्वरूप– उच्चावच, अपवाह तंत्र, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति एवं मिट्टी। प्रमुख खनिज संसाधन, लौह अयस्क, अभ्रक, वाक्साइट, आण्विक खनिज एवं ऊर्जा संसाधन।

प्रमुख कृषि उत्पादन– खाद्यान्न एवं मुद्रा दायिनी फसलें, कृषि की अद्यतन प्रवृत्तियाँ, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनायें। औद्योगिक विकास, औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक नीति। प्रमुख उद्योग– लौह इस्पात, वस्त्र, सीमेन्ट, चीनी एवं कागज उद्योगों की अवस्थापना, वितरण, उत्पादन एवं समस्यों। जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण का प्रादेशिक स्वरूप, तत्सम्बन्धी समस्यायें एवं समाधान। प्रादेशिक विकास विषमता– कारण एवं निदान। राज्यों का पुनर्गठन–समस्यायें एवं निदान।

इतिहास

भौगोलिक विशेषताएँ

प्राचीन इतिहास के साधन पुरातत्व, साहित्य एवं विदेशी विवरण।

इकाई–1

(क) पुरैतिहासिक– प्राचीन मानव और उसके उपकरण–पाषाणिक, ताम्र–पाषाणिक, कांस्य एवं लौह।

(ख) प्राक्–इतिहास– नदी घाटी सभ्यता– हड़प्पा नगर की सभ्यता–नगर योजना, आवासीय भवन, स्वास्थ्य (नाली) व्यवस्था, विशाल स्नानागार, अन्न भण्डार, घरेलू सामग्री, साज–सज्जा और वेशभूषा, वाणिज्य–

continued..

size : 38x25
Kaka Advt. Ag.

व्यापार, मुहरें, बन्दरगाह, आस्था एवं धर्म–पशु पूजा, वृक्ष पूजा, शक्ति एवं शिव कांसे की नर्तकी, कला और कला–कृतियाँ, शव–विसर्जन विधि, मुख्य स्थल, पतन के कारण।
(ग) वैदिक संस्कृति जानने के साधन– वैदिक संहितायें, ब्राह्मण–ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद् एवं धर्मशास्त्र, वेदांग।
प्रारम्भिक वैदिक संस्कृति– सामाजिक व्यवस्था का उदय, वर्ण व्यवस्था, राजा रत्निन, विवाह, पेशा, देव एवं देवियाँ।
उत्तर वैदिक संस्कृति– जाति व्यवस्था का उदय, पेशा, राजा, सभा समिति, विश, यज्ञकर्म, पुरोहित, आर्थिक व्यवस्था पणि, निष्क, कृषि एवं उद्योग।
इकाई–2
मुख्य धार्मिक आन्दोलन– जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म।
इकाई–3
राजनीतिक इतिहास 600 ई0पू0 से 1200 ई0 तक षोडश महाजनपद, गणराज्य, मगध का उत्कर्ष एवं साम्राज्य की स्थापना, नन्दवंश, मौर्यवंश एवं गुप्त वंश। मौर्य वंश– चन्द्रगुप्त मौर्य एवं अशोक, गुप्त वंश चन्द्रगुप्त प्रथम से स्कन्दगुप्त काल तक, मगध–साम्राज्य के पतन का कारण, विदेशी आक्रमण, पारसीक, मकदुनिया के सिकन्दर, हिन्द–यवन, शक–पह्लव, कुषाण, हूण।
उत्तरी भारत 500 ई0 से 650 ई0 तक उत्तर–गुप्त मौखरी वंश, हर्षवर्द्धन।
प्रमुख स्थानीय शक्तियाँ (राजपूत युग 700 ई0 से 1200 ई0, शुंग–कण्व, आन्ध्र सातवाहन, मौखरी– पुष्यभूति, गुर्जर–प्रतिहार, चन्देल, परमार, चालुक्य, वादामी के चालुक्य वैगी के चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, कल्याणी के चालुक्य, पहदकल के चालुक्य, चोल।
इकाई–4
प्राचीन भारत में आर्थिक इतिहास, कृषि, व्यापार–वाणिज्य, उद्योग धन्धे श्रेणी व्यवस्था, नानादेशी, सिक्का प्रणाली।
इकाई–5
प्राचीन समाज– वर्ण–जाति, आश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार, शिक्षा।
इकाई–6
कला एवं वास्तुकला– मन्दिर, स्तूप, मूर्तिकला, चित्रकला, अन्य कलायें–हस्तकला, पात्रकला–काष्ठकला, लेखन कला (अभिलेख लिपि), स्तम्भ, चट्टान, भित्ति।
मुहम्मद गोरी का आक्रमण दासवंश– खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, बाबर मुगल साम्राज्य निर्माता के रूप में, हुमायूँ तथा शेरशाह सूरी। मुगल साम्राज्य का विस्तार अकबर से औरंगजेब तक, मुगल साम्राज्य का पतन, मुगलों को शासन व्यवस्था और आर्थिक नीति, बहमनी और विजय नगर का प्रशासन, शिवाजी और मराठों का उत्कर्ष तथा पतन।
शासन व्यवस्था– दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था, मुगलों की शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ, मुगल कालीन संस्कृति, प्रान्तीय शासन, शेरशाह सूरी की शासन–व्यवस्था। भूमिकर व्यवस्था शेरशाह सूरी और अकबर की भूमिकर व्यवस्था।
मुगलों की धार्मिक नीति बाबर की धार्मिक नीति हुमायूँ और अकबर की धार्मिक नीति, दीन इलाही, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब की धार्मिक नीति मुगलों की दक्षिणी नीति बाबर से औरंगजेब तक।
मुगल सभ्यता और संस्कृति, शिक्षा, स्त्री शिक्षा साहित्य, कला, चित्रकला, वास्तुकला, संगीत कला।
सैनिक व्यवस्था अकबर की मनसबदारी व्यवस्था जाट, सवार और मराठों की सैन्य व्यवस्था।
मुगल कालीन समाज सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, उद्योग–धन्धे।
17वीं, 18वीं शताब्दी में भारत में यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियों का आगमन। डच, पुर्लगाली, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी।
बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय– प्लासी का युद्ध बक्सर का युद्ध तथा उसका महत्व।
क्लाइव की दूसरी सूबेदारी (1765–67) बंगाल व्यवस्था– दोहरी प्रणाली के गुण और दोष।
वारेन हेस्टिंगस– (1772–85) प्रशासनिक सुधार, भूमिकर सुधार, न्यायिक सुधार।
कार्नवालिस के प्रशासनिक सुधार (1786–93)– कर सम्बन्धी सुधार, बंगाल की स्थायी भूकर व्यवस्था।
लार्ड वेलेजली– (1798–1805)– सहायक संधि प्रणाली।
मैसूर का उत्थान– हैदर अली तथा टीपू सुल्तान
प्रथम आंग्ल–मैसूर युद्ध
द्वितीय आंग्ल–मैसूर युद्ध
तृतीय युद्ध–मैसूर युद्ध
चौथा युद्ध–मैसूर युद्ध
लार्ड हेस्टिंग्स और भारत में सर्वश्रेष्ठता का स्थापित होना। आंग्ल–नेपाल युद्ध, पिण्डारी युद्ध, हेस्टिंग्स की मराठा नीति।
विलियम बैंटिंग–(1828–35)– सती प्रथा को बन्द करना, सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार, लार्ड मैकाले की शिक्षा नीति।
रणजीत सिंह का जीवन और उपलब्धियाँ:– प्रारम्भिक जीवन, प्रशासन, भूकर तथा सैनिक प्रशासन।
लार्ड डलहौजी– (1848–56)– व्यपगत का सिद्धान्त, अवध का विलय, लार्ड डलहौजी के सुधार।
1857 का विद्रोह– विद्रोह के कारण।
भू–राजस्व व्यवस्था– स्थायी जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी पद्धति, रैवतवाड़ी पद्धति
लार्ड कर्जन– (1899–1905)– बंगाल का विभाजन।
सांस्कृतिक जागरण, सामाजिक और धार्मिक सुधार, बह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, राम कृष्ण आन्दोलन, थियोसोफिकल आन्दोलन, मुस्लिम सुधार आन्दोलन, व्हाबी आन्दोलन, अलीगढ़ आन्दोलन।
भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का उत्थान और विकास उदारवादी दल की नीतियों का मूल्यांकन, उग्रवाद के उदय के कारण, होम रूल आन्दोलन, क्रान्तिकारी आतंकवादी आन्दोलन, असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, स्वतंत्रता आन्दोलन में गांधी जी का मूल्यांकन।
भारत के अग्रगण्य राष्ट्रीय नेता– राम मोहन राय उनके कार्य का मूल्यांकन और विचार, दादा भाई नौरोजी 1825–1917, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू।
मुस्लिम साम्प्रदायिकता का उदय– सर सैयद अहमद खाँ, मुस्लिम लीग की स्थापना, दो राष्ट्रका सिद्धान्त, हिन्दू महासभा, माउन्ट बैटन योजना, भारत विभाजन।
संविधान–
1773 का रेग्यूलेटिंग एक्ट
1784 का पिट का इण्डिया एक्ट
1833 का चार्टर एक्ट
1909 का एक्ट
1919 का एक्ट
1935 का एक्ट
स्वतंत्रता का प्रथम चरण– भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, रियासतों का एकीकरण और विलय, महात्मा गांधी की हत्या।
पंचवर्षीय योजनायें– पड़ोसी देशों से सम्बन्ध। पाकिस्तान, चीन, चीनी आक्रमण 1962ए बंगला देश।

समाज शास्त्र

खण्ड–1

मौलिक समाज शास्त्रीय अवधारणायें

समाज शास्त्र:– अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र
समाज:– अवधारणा एवं विशेषताएं
अन्य सम्बन्धित अवधारणायें:– संस्था, समुदाय, समिति, संस्थायें, सामाजिक समूह, प्रस्थिति एवं भूमिका, संस्कृति एवं सभ्यता।
खण्ड–2
सामाजिक प्रक्रियायें
सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, परसंस्कृतिग्रहण, समाजीकरण, स्तरीकरण एवं विभेदीकरण।
खण्ड–3
प्रारम्भिक एवं समकालीन सामाजिक विचारक
पश्चिमी विचारक:– आगस्त कोम्ट, कार्लमार्क्स, हरवर्टस्पेन्सर, इमाई लदुर्खीम, मैक्स वेबर
भारतीय विचारक:– राधाकमल मुकर्जी, एम0एन0 श्रीनिवास, जी0एस0 घूरिये,
खण्ड–4
समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धान्त
प्रघटनाशास्त्र एवं लोक विधि–विज्ञान, प्रकार्यवाद, संरचनावाद, मार्क्सवाद, संघर्ष–सिद्धान्त, विनियम सिद्धान्त एवं प्रतीकात्मक अन्तःक्रियावाद।
खण्ड–5
सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण
सामाजिक परिवर्तन:– अवधारणा, कारक एवं सिद्धान्त
सामाजिक नियंत्रण:– अवधारणा, साधन एवं अभिकरण
सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं:– औद्योगीकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण एवं भूमण्डलीकरण
सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण में संचार साधनों की भूमिका।
खण्ड–6
भारतीय समाज एवं संस्कृति
जाति, वर्ग, विवाह एवं परिवार।
संस्कृतिकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, वृहतपरम्परा एवं लघु परम्परा, सार्वभौमिकीकरण, स्थानीयकरण।
खण्ड–7
भारतीय ग्रामीण सामाजिक व्यवस्थाएँ
जाति व्यवस्था, जजममानी व्यवस्था, नातेदारी, पंचायतीराज व्यवस्था,
खण्ड–8
समकालीन भारतीय सामाजिक समस्यायें
निर्धनता, बेकारी, लिंग असमानता, भ्रष्टाचार, कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार– महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों की समस्यायें।
खण्ड–9
सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ
सामाजिक अनुसंधान:– अर्थ तथा सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न चरण,
शोध प्रारूप– अर्थ एवं प्रकार,
समंक संकलन की पद्धतियाँ एवं तकनीतियाँ
सांख्यिकीय विश्लेषण– केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप:– माध्य, माध्यिका, बहुलक,
मानक विचलन एवं सह सम्बन्ध।

शिक्षा शास्त्र

1– शिक्षा का अर्थ तथा विषय क्षेत्र, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के अभिकरण, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा– स्वरूप एवं संगठन, जीवन पर्यन्त शिक्षा सतत शिक्षा, भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्यायें– वैदिक, बौद्ध, मध्ययुगीन ब्रिटिश तथा स्वातंत्र्योत्तर काल में शिक्षा, भारत में शिक्षा के लिए संवैधानिक प्राविधान, शिक्षा पर विभिन्न आयोगों व समितियों की संस्तुतियाँ, भारत में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के समस्याएं, राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा, शिक्षित बेरोजगारी, भाषा विवाद, स्त्री शिक्षा, समावेशी शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा के शौर्य शिक्षा, मूल्य शिक्षा, शिक्षा और भूमण्डलीकरण।
2– शिक्षा और दर्शन में सम्बन्ध, शिक्षा–दर्शन की प्रकृति एवं महत्व, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यर्थाथवाद, प्रयोजनवाद तथा अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्चा, शिक्षण विधियाँ व अनुशासन, महात्मा गाँधी, रविन्द्र नाथ टैगोर, श्री अरविन्द, मदन मोहन मालवीय, सर सैयद अहमद, रूसो तथा जॉन डीवी के शैक्षिक चिन्तन, शैक्षिक समाज शास्त्र का अर्थ एवं विषय क्षेत्र, संस्कृति एवं शिक्षा, नगरीकरण तथा आधुनिकीकरण– शिक्षा पर इनका प्रभाव, सामाजिक स्तरीकरण एवं शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन एवं शिक्षा, धर्म एवं शिक्षा, समाजीकरण के लिए शिक्षा, निर्विद्यालयीकरण, शिक्षा में भविष्य विज्ञान।
3– शिक्षा मनोविज्ञान– अर्थ, विषय–क्षेत्र एवं महत्व, वृद्धि एवं विकास, शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, समाजिक, संवेगात्मक तथा नैतिक विकास, अधिगम के सिद्धान्त– थार्नडाइक, पावलाव, कोहलर, कोफका, स्किनर, लेविन, हल तथा टालमेन, अभिप्रेरणा, अधिगम का स्थानान्तरण, व्यक्तित्व का अर्थ एवं फ्रायड, एडलर, युंग तथा इरिक्सन के सिद्धान्त, बुद्धि की प्रकृति एवं सिद्धान्त, मानसिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा, समस्या समाधान तथा सृजनात्मकता– प्रकृति एवं विकास, स्मृति एवं विस्मरण, प्रत्यय निर्माण, चिन्तन– पियाजे एवं ब्रूनर के सिद्धान्त, निर्देशन एवं परमर्श अर्थ आवश्यकता, सेवाएं एवं प्रकार।
4– शैक्षिक अनुसंधान– अर्थ, उपागम– गुणात्मक व मात्रात्मक, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक तथा क्रियात्मक शोध के सोपान, सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण, परिकल्पना–निर्माण व परीक्षण, न्यादर्शन की प्रविधियाँ, अच्छे शोध प्रतिवेदन के लक्षण।
केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप– मध्यमान, माध्यिका व बहुलक, विचरणशीलता के माप– मानक विचलन, चतुर्थांश विचलन, शतांश, मानक प्राप्तांक–टी, जैड व स्टेनाइन, सामान्य प्रायिकता वक्र– लक्षण एवं उपयोग, सहसम्बन्ध गुणांक, टी, एफ तथा काई–वर्ग परीक्षण।
5– शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन– अर्थ, विषयक्षेत्र व महत्व, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, व्यवहारगत परिवर्तनों के रूप में उद्देश्यों का लेखन, विश्वसनीयता, वैधता एवं मानक–प्रकार तथा गणना, निष्पत्ति परीक्षण का निर्माण, निबन्धात्मक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण, मानक संदर्भित एवं निकष संदर्भित परीक्षण, संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन, सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन, चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, व्यक्तित्व, बुद्धि, रुचि एवं सृजनात्मकता का मापन, मापन के उपकरण– साक्षात्कार, निरीक्षण, रेटिंग स्केल, प्रश्नावली तथा समाजमिति, ग्रेडिंग तथा अंकों की स्केलिंग, प्रदत्तों का गुणात्मक विश्लेषण।
6– दूर शिक्षा– अर्थ एवं महत्व, खुला विद्यालय एवं मुक्त विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रौद्योगिकी– अर्थ व उपागम, कम्प्यूटर सहा
अनुदेशन, शिक्षण प्रतिमान, प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी, बहुमाध्यम उपागम, सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी– समेकित शिक्षा, वेब आधारित अधिगम, शिक्षा में प्रणाली उपागम।
विद्यालय प्रबन्धन का अर्थ एवं प्रकृति, विद्यालय प्रबन्धन के कार्य, संस्थागत नियोजन, पर्यवेक्षण– प्रकृति एवं प्रविधियाँ, प्रधानाचार्य की भूमिका, विद्यालय समय–सारिणी, विद्यालय का बजट, कार्यक्रम मूल्यांकन–सोपान एक उपयोग केन्द्र, राज्य व स्थानीय स्तर पर विद्यालय प्रशासन के विभिन्न अभिकरण।

URDU

PART - I

1. اردو زبان وادب کا آغاز وارتقاء
دکن میں (بہمنی دور، عادل شاہی دور، قطب شاہی دور)
شمالی ہند میں (اردو نظم ونثر کا ابتدائی زمانہ، بکٹ کہانی، کربل کتھا)
2. اردو ہندی کا باہمی رشتہ
3. لکھنؤ اور دہلی کے دبستانِ شاعری کا مطالعہ (استعمال زبان کے خصوصیات اور امتیازات)
4. اردو ادب کی تحریکیں اور رجحانات (سرسید تحریک، ترقی پسند تحریک، حلقۂ ارباب ذوق، جدیدیت)
5. اردو نثر اور فورٹ ولیم کالج اور دلی کالج (میر امّن، حیدر بخش حیدری، للّو لال جی، ذکاء اللہ، ماسٹر رام چندر)

PART - II

6. اردو اصناف نثر [داستان (فسانۂ عجائب) ناول (امراؤ جان ادا، آخر شب کے ہم سفر) افسانہ - پریم چند (کفن، گھر کی بیٹی)

continued..

size : 38x25
Kaka Advt. Ag.

परिव्ययांकन की तकनीक – सीमान्त परिव्ययांकन, प्रमाप परिव्ययांकन, बजटरी नियन्त्रण
प्रबन्धकीय लेखांकन – आशय, उद्देश्य, क्षेत्र और महत्व, वित्तीय लेखांकन एवं प्रबन्धकीय लेखांकन में अन्तर, कर लेखांकन – कृषि आय, करदाता, गतवर्ष, कर निर्धारण वर्ष

2 व्यवसाय संगठन एवं प्रबन्धः
व्यापार, उद्योग और वाणिज्य का आशय, व्यवसाय संगठन के प्रारूप (एकाकी व्यापार, साझेदारी कम्पनी, सहकारी समिति), सार्वजनिक – निजी भागेदारी (पी.पी.पी.), लोक उपक्रमों के प्रकार, संयन्त्र स्थानीयकरण, व्यावसायिक संयोजन, विवेकीकरण, वैज्ञानिक प्रबन्ध, देशी और विदेशी व्यापार, व्यायसायिक सेवायें (बैंकिंग, बीमा, भण्डारण, यातायात और सम्प्रेषण), व्यावसायिक और शासकीय पत्र
प्रबन्धः आशय, प्रकृति व क्षेत्र, प्रबन्ध के सिद्धान्त, संगठनात्मक ढांचा, प्रबन्ध के कार्य (नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन (सम्प्रेरणा, नेतृत्व), निर्णयन, नियन्त्रण, समन्वय), एफ0डब्ल्यू टेलर, हेनरी फेयोल, एल्टन मेयो का प्रबन्ध में योगदान।

3. व्यायवसायिक वातावरणः अवधारणा, प्रकृति एवं महत्व, आर्थिक प्रणाली के तत्व, सरकारी नीतियाँ (राजनैतिक, विधिक एवं सामाजिक–सांस्कृतिक पर्यावरण), बहुराष्ट्रीय निगम, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन, स्कन्ध एवं उपज विपणि, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेवी)।

4. व्यावसायिक सांख्यिकीः सांख्यिकी का आशय, क्षेत्र एवं महत्व, आवृत्ति वितरण, ग्राफ एवं डाइग्राम, केन्द्रीय प्रवृत्ति का मापन (समान्तर माध्य, मध्यिका एवं बहुलक), अपरिकरण एवं विषमता, निर्देशांक, सह–सम्बन्ध, काल श्रेणी का विश्लेषण, काई वर्ग परीक्षण की पद्धतियाँ एवं उपयोग, कृषि समंक, औद्योगिक समंक, भारतीय सांख्यिकी की कमियाँ एवं सुधार।

5. व्यावसायिक अर्थशास्त्रः अवधारणा, प्रकृति एवं महत्व, व्यावसायिक अर्थशास्त्र के सिद्धान्त, माँग विश्लेषण, वितरण के सिद्धान्त (लगान, मजदूरी, ब्याज एवं लाभ), व्यावसायिक चक्र, उदासीनता वक्र विश्लेषण, राष्ट्रीय आय, जनसंख्या का सिद्धान्त, बेरोजगारी की समस्या।

6. मुद्रा एवं बैंकिंगः मुद्रा का आशय एवं कार्य, मौद्रिक प्रमाप (एक धातुमान एवं द्विधातुमान), ग्रेशम का नियम, मुद्रा के प्रकार, मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा संकुचन, मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार।
बैंक का आशय एवं कार्य, बैंकों के प्रकार, मर्चेण्ट बैंकिंग, ई–बैंकिंग, नेट बैंकिंग, विदेशी विनिमय, विनिमय नियंत्रण।

7. अंकेक्षण एवं बीमाः अंकेक्षण का आशय, उद्देश्य एवं क्षेत्र, अंकेक्षण की तकनीकें (नैत्यक जांच एवं परीक्षण जांच), अंकेक्षण का वर्गीकरण, आन्तरिक निरीक्षण एवं आन्तरिक अंकेक्षण प्रमाणन,
कम्पनी अंकेक्षण– कम्पनी अंकेक्षक की नियुक्ति, पारिश्रमिक, योग्यताएँ, अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व, अंकेक्षण प्रतिवेदन, अनुसंधान
बीमा का आशय एवं सिद्धान्त, बीमा के कार्य एवं क्षेत्र, बीमा, संविदा के आवश्यक तत्व, बीमा के प्रकार, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.)

8. उद्यमिता एवं लघु व्यवसायः उद्यमिता का आशय, कार्य एवं प्रकार, उद्यमी के गुण, उद्यमिता के मुख्य सिद्धान्त, भारतीय अर्थ व्यवस्था में लघु एवं मंझोले उद्यमों का योगदान, उद्यमिता और लघु एवं मंझोले उद्योगों के विकास में सरकारी एवं अन्य संस्थाओं का योगदान, भारत में लघु एवं मंझोले उद्योगों की समस्याएँ।

गृह विज्ञान

1– शरीर विज्ञान
कोशिका, तन्तु एवं तन्त्र
2– स्वास्थ एवं स्वच्छता
(1) व्यक्तिगत स्वच्छता
(2) घर एवं पास–पड़ोस की स्वच्छता
(3) सामुदायिक विकास में स्वास्थ एवं स्वच्छता की भूमिका
(4) पर्यावरण एवं प्रदूषण
(5) रोग–संक्रामक एवं असंक्रामक एवं उनका उपचार।
3– मानवीय विकास एवं पारिवारिक सम्बन्ध
(क) मानवीय विकास
(1) विकास के सिद्धान्त
(2) मानवीय वृद्धि एवं विकास
(3) सम्पूर्ण जीवन के विकासात्मक कार्य
(4) नवजात शिशु की देखभाल
(5) नर्सरी स्कूल एवं उनके प्रकार
(6) विभिन्न प्रकार के खेल के आयाम विभिन्न आयु वर्ग में
(ख) परिवार एवं पारिवारिक सम्बन्ध
(1) परिवार के प्रकार
(2) परिवार की भूमिका
(पारिवारिक सदस्यों के कर्तव्य एवं आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व)
(3) विवाह एवं पारिवारिक सम्बन्ध
(4) घरेलू एवं सामाजिक समस्यायें
(1) घरेलू हिंसा
(2) नशा
(3) दहेज प्रथा
(4) सामाजिक विषमता.
(4) आहार एवं पोषण
(1) आहार एवं पोषक तत्व, आहार समूह एवं संतुलित आहार
(2) आहार के कार्य
(3) पोषक तत्वों की कमी से रोग, लक्षण एवं उपचार
(4) आहार का चयन, भण्डारण
(5) भोजन एवं मिलावट एवं उनसे सम्बन्धित समस्याएँ
(6) भोजन पकाने की विधियाँ
(7) विभिन्न आयु वर्ग एवं रोगी की भोजन व्यवस्था
(5) गृह प्रबन्धन
(1) प्रबन्धन संसाधन एवं उनका वर्गीकरण
(2) विभिन्न संसाधनों का व्यवस्था, कार्य विधि एवं निर्णय
(3) कार्य एवं कार्य का सरलीकरण
(4) आय, व्यव, बचत एवं बचत का निवेश
(5) उपभोक्ता हेतु शिक्षा–दायित्व, कर्तव्य, कानूनी सलाह एवं विधि
(6) वस्त्र और परिधान
(1) तन्तुओं का वर्गीकरण और गुण
(2) वस्त्र तन्तुओं का निर्माण
(3) धागे और उनका वर्गीकरण
(4) वस्त्र विभाग
(5) वस्त्रों की फिनीशिंग–(रंगाई, छपाई एवं विशेष फिनीशिंग)
(6) पारम्परिक वस्त्र एवं विभिन्न भारतीय कढ़ाइयाँ
(7) परिधान की मूल डिजाइन, काटना और सिलना
(8) वस्त्रों की देखभाल एवं दाग धब्बे छुड़ाना
(7) दूरस्थ शिक्षा
(1) समुदाय के विकास की योजनाएँ।
(2) सम्प्रेषण के साधन, कार्य महत्व एवं प्रकार।
(3) औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा।
(4) प्रसार शिक्षा–अर्थ एवं क्षेत्र
(5) गृह विज्ञान शिक्षा में नेतृत्व, अच्छे नेता के गुण।

منٹو(ٹوبہ ٹیک سنگھ)بیدی(لاجونتی)عصمت چغتائی(چوتھی کا جوڑا)کرشن چندر(دادر پل کے بچے)حیات اللہ انصاری(آخری کوشش)ناولٹ-سجاد ظہیر(لندن کی ایک رات)قاضی عبدالستار(رضو باجی)انشائیہ/طنز و مزاح-پطرس بخاری(سویرے جو کل آنکھ میری کھلی)رشید احمد صدیقی(ارہر کا کھیت)مشتاق احمد یوسفی (چار پائی اور کلچر)فرحت اللہ بیگ(ایک وصیت کی تعمیل)کنھیالال کپور(غالب ترقی پسندوں کی محفل میں) شوکت تھانوی(سودیشی ریل)مضامین-محمد حسین آزاد(شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار)مولوی عبدالحق (نام دیو مالی)مہدی افادی(اردو نثر کے عناصر خمسہ)خطوط-غالب(اردوئے معلیٰ)ابوالکلام آزاد(چڑیا چڑے کی کہانی/ابتدائی پانچ خطوط)سفرنامہ-یوسف خاں کمّل پوش(عجائبات فرنگ)سید احتشام حسین(ساحل اور سمندر)سوانح-حالی(حیات سعدی)عصمت چغتائی(کاغذی پیرہن)

7. اردو تحقیق وتنقید- آزاد، حالی، شبلی، امداد امام اثر، حافظ محمود شیرانی، مولوی عبدالحق، قاضی عبدالودود، امتیاز علی خاں عرشی، مسعود حسن رضوی، احتشام حسین، آل احمد سرور، کلیم الدین احمد، مسیح الزماں، شمس الرحمٰن فاروقی، گوپی چند نارنگ، رشید حسن خاں، حنیف احمد نقوی

8. اردو صحافت کا آغاز وارتقاء-مولوی محمد باقر(دہلی اردو اخبار)منشی سجاد حسین(اودھ پنچ)ظفر علی خاں(زمیندار) ابوالکلام آزاد(الہلال)حسرت موہانی(اردوئے معلیٰ)عبدالماجد دریابادی(صدق جدید)ظ-انصاری (انقلاب)حیات اللہ انصاری(قومی آواز)

9. اردو ڈراما- آغاز وارتقاء-امانت لکھنوی(اندر سبھا)آغا حشر کشمیری(سلور کنگ)امتیاز علی تاج(انارکلی) اعجاز حسین(سید انشا)حبیب تنویر(آگرہ بازار)

PART - III

10. اردو اصناف شاعری-(غزل، نظم، مرثیہ، مثنوی، قصیدہ، رباعی، شہر آشوب، واسوخت)
غزل-محمد قلی قطب شاہ، ولی، درد، میر، انشا، مصحفی، آتش، ناسخ، غالب، مومن، یگانہ، فراق، ناصر کاظمی
نظم-نظیر اکبر آبادی(آدمی نامہ، روٹیاں، گلہری)اکبر الہ آبادی(ایک فرضی لطیفہ، جلوۂ دربارِ دہلی، مستقبل) اقبال(حقیقت حسن، خضر راہ، طلوع اسلام)چکبست(رامائن کا ایک سین)سرور جہان آبادی(بیر بہوٹی) جوش(لیلیٰ صبح، کسان)فیض(رقیب سے، زنداں کی ایک شام)ی-م-راشد(سباویراں)میراجی(کلرک کا نغمۂ محبت)مجاز(آوارہ)اختر الایمان(ایک لڑکا)وحید اختر(کرسی نامہ)
مرثیہ-میر ضمیر(کس نور کی مجلس میں مری جلوہ گری ہے)
میر انیس(جب قطع کی مسافتِ شب آفتاب نے)
مرزا دبیر(کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے)
مثنوی-میر حسن(سحر البیان)دیا شنکر نسیم(گلزار نسیم)مرزا شوق لکھنوی(زہر عشق)
قصیدہ-سودا(اُٹھ گیا بہمن ودے کا چمنستاں سے عمل)
ذوق(زہے نشاط اگر کیجئے اسے تحریر)
غالب(دہر جز جلوۂ یکتائی معشوق نہیں)
محسن کاکوروی(سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل)
رباعی-انیس، دبیر، حالی، اکبر، امجد حیدر آبادی، رواں، فراق
شہر آشوب-سودا(تفحک روزگار)

PART - IV

11. اردو قواعد
(الف)اسم، ضمیر، فعل، صفت، حرف اور اس کی قسمیں
(ب)استعارہ، تشبیہ، مجاز مرسل اور کنایہ
(ج)صنائع وبدائع-لف ونشر(مرتب وغیر مرتب)تلمیح، تلمیع، حسن تعلیل، تجنیس(نام اور ناقص وزائد)
سوال وجواب، تنسیق الصفات، ترصیع، سیاقۃ الاعداد، تضاد، ایہام تضاد اور مراعاۃ النظیر

वाणिज्य

1. लेखांकन
लेखांकन के सिद्धान्त, अवधारणा और मान्यताएँ, भारत में लेखांकन प्रमाप, जर्नल, लेजर, तलपट, अशुद्धियों का संशोधन, बैंक समाधान विवरण, अन्तिम खाते (समायोजन सहित), ह्रास संचय एवम् प्रावधान, प्रेषण खाता, संयुक्त उपक्रम, इकहरा लेखा प्रणाली, आगम एवं शोधन खाता, आय और व्यय खाता, पूँजीगत और आयगत प्राप्तियाँ एवं व्यय, विनिमय विपत्र, साझेदारी खाते (प्रवेश, अवकाश ग्रहण, मृत्यु, विघटन), कम्पनी खाते– अंशों एवं ऋण पत्रों का निर्गमन, अंशों का हरण, अपहरित अंशों का पुनर्निगमन, ऋण पत्रों का शोधन, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन, बोनस अंश, समामेलन के पूर्व एवं पश्चात का लाभ, कम्पनी के अन्तिम खाते।
अनुपात विश्लेषण, कोष प्रवाह विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण
लागत लेखांकनः आशय एवं उद्देश्य, लागत के तत्व, परिव्ययांकन की पद्धतियाँ–इकाई परिव्ययांकन, प्रक्रिया परिव्ययांकन, ठेका परिव्ययांकन,

सचिव